असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 फरवरी, 2017

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न लिए जायेंगे ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहे हैं । महादलित पूर्व मंत्री की बेटी के साथ कौंग्रेस नेता ब्रजेश पाण्डेय का नाम आया है । ब्रजेश पाण्डेय की गिरफ्तारी नहीं हुई है । महादलित का मामला है और दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि मेवा लाल चौधरी नियुक्ति घोटाले के मामले में दोषी पाए गए हैं । गिरफ्तारी नहीं हो रही है ।

अध्यक्ष : ये सारी बातें आप कल कह चुके हैं ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : पेपर लीक काण्ड में आई0ए0एस0 संघ सी0बी0आई0 जॉच की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं, इस राज्य का विकास बाधित हो रहा है । सरकार से कहेंगे कि सरकार सी0बी0आई0 जॉच कराये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप जिन बातों को उठा रहे हैं उन सबों की चर्चा आपने अपने भाषण में कल की है । आज भी जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर वाद-विवाद जारी है, अगर आपके सदस्य चाहेंगे, हालांकि किसी के लिए आपने समय छोड़ा नहीं है, तो कोई सदस्य इसपर अपनी राय विस्तार से रख सकते हैं । ये तो तब होता है जब इसके लिए समय उपलब्ध नहीं है । ज्यादा दिन की बात भी नहीं है, कल ही इन सारे मुद्दों पर आपने विस्तार से अपनी राय रखी है और आज सरकार का उत्तर भी होना है तो आज आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

आपका क्या है ?

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बिहार में दलितों के, महिलाओं के, अल्पसंख्यकों के ऊपर और कमजोर लोगों के ऊपर हमले तेज हो गए हैं । हत्यायें हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं घट रही है और सरकार उसपर मूकदर्शक बनी हुई है । मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि सरकार इन घटनाओं पर कार्रवाई करे, जुबान खोले । यह दलितों के ऊपर हमला है।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब सदन चलने दीजिये । आपने तो कल द्वितीय पाली में कितना अच्छा सहयोग करके अपना लम्बा भाषण भी दिया । आपने जितना समय चाहा उतना हमने सदन की तरफ से आपको दिया, अब आप दूसरों के बोलने में क्यों व्यवधान दे रहे हैं ?

अल्पसूचित प्रश्न संख्या -1 (श्री भाई वीरेन्द्र)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक-2064 दिनॉक 23-12-16 के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में.....

अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री, आप सरकार की तरफ से प्रेम बाबू को बता तो दीजिये कि अब बैठ गए हैं तो वे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, प्रेम बाबू के चेहरे से ज्यादा चमक उनके जो चंदन है वो हमको बड़ा खूबसूरत लग रहा है ।

अध्यक्ष : चलिए, अब माननीय शिक्षा मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक-2064 दिनॉक 23-12-16 के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में अरवल, बांका, दरभंगा, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लख्खीसराय, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली एवं खगड़िया छोड़कर अन्य जिले में संबंधित नियोजन इकाई द्वारा नियोजन प्रक्रिया संपन्न नहीं करने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 376 दिनॉक 25-02-2017 द्वारा जिला पदाधिकारी को दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर उनपर कार्रवाई प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2011 में कानून बनाया था कि राज्य के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 में उसका खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है 1190 विद्यालयों के द्वारा , सरकार ने उन्हें 3 माह का समय दिया था लेकिन ...

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, जवाब गलत हो गया , दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री फिर जवाब दे रहे हैं ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो दिनॉक 01-04-2010 से प्रभावी है एवं तद्लोक में अधिसूचित बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियमावली -2011 के तहत निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति का प्रावधान किया गया है ।

2- वस्तु स्थिति यह है कि पटना जिलान्तर्गत 1190 निजी विद्यालयों द्वारा उक्त अधिनियम एवं नियमावली में निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का अनुपालन नहीं किए जाने के फलस्वरुप उनका प्रस्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है ।

3- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 91 दिनॉक 31.01.2017 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से यह पृच्छा किया गया है कि 1190 निजी विद्यालयों की सूची सार्वजनिक करते हुए संबंधित विद्यालयों को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए उसे बंद करने का नोटिस दिया गया है अथवा नहीं । साथ ही उक्त विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पड़ोस के विद्यालय में नामांकित कराने हेतु पड़ोस के विद्यालय चिन्हित करते हुए आवश्यक नोटिस निर्गत किए गए हैं अथवा नहीं । जिला शिक्षा पदाधिकारी से उक्त पृच्छाओं का समाधान करते हुए प्रतिवेन प्राप्त होने पर उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुरुप अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकेगी।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि आपके द्वारा सरकार के द्वारा उन विद्यालयों को तीन माह का समय दिया गया लेकिन अभी तक तीन माह बीत जाने के बाद भी उनकी रिपोर्ट नहीं आयी सरकार उसपर क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, 31-01-2017 को प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा पत्र दिया गया है डी0ई0ओ0 को, आर0टी0 के प्रावधानो में उसके अनुरुप बना हुआ है कि कैसे आप इसको डिसक्वालिफाई कर सकते हैं, उसका एक प्रावधान बना हुआ है। हमलोगों ने इसको 31-01-2017 को किया है, 31-03 खत्म होने के बाद चूँकि इन्टरमीडियेट और मैट्रिक की परीक्षा प्रायरिटी पर है, इसके बाद तीन महीने के अंदर में ऐसे विद्यालयों का जो आर0टी0 के अनुरुप प्रावधान दिए गए है, उसमें देकर जो ऐसे विद्यालय है उनपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 में प्रावधान किया गया है कि निजी स्कूल निबंधित कराना होता है या ट्रस्ट से निबंधित होता है लेकिन तीन साल बीत गए किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, न निबंधित हुआ है, न ट्रस्ट बना है और 1190 विद्यालय ऐसे ही चल रहे हैं और शिक्षा के अधिकार का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है क्या सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री जी इसपर कार्रवाई करना चाहेंगे ?

अध्यक्ष : कार्रवाई के संबंध में ही तो बताया है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : 31-01-2017 को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि तीन महीने का समय है उसके बाद आर0टी0 ऐक्ट के अनुरुप जो प्रावधान है कैन्सिलेशन करने का उसको फौलो करते हुए उनलोगों को तीन महीने के अंदर इसके ऊपर ऐक्ट करना है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : पिछले साल भी यह क्वेश्चन आया था और उन दिनों भी सरकार के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जो ऐक्ट हमारे तरफ बनाया गया है उसका निश्चित रुप से पालन किया जायेगा लेकिन एक साल से ज्यादा हो गया उसका कोई पालन नहीं हो रहा है फिर समय मांगा जा रहा है तो हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि कितने दिन का समय मांग रहे हैं ।

अध्यक्ष : वह तो बता दिए कि तीन महीने के अंदर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : समय सीमा उसकी निश्चित की जाय ।

अध्यक्ष : तीन महीना बता दिए ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक भाई वीरेन्द्र जी ने जिन बातों को कहा है कि पिछले ही साल भी ऐसे ही सत्र चल रहा था, यह मामला उठाया था, उस समय भी हमलोगों ने मामला उठाया था शिक्षा के अधिकार के तहत बिहार में धज्जियाँ उड़ रही हैं , कहीं पालन नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष : अभी तो आपको पूरक प्रश्न पूछना है ।

टर्न–2/विजय/28.02.2017

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल: पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय । बिहार में पिछले बार भी यह विषय आया था और माननीय मंत्री शिक्षा ने जवाब में कहा था कि निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगें । हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि जो पिछले साल आपने इसी सदन में जवाब में कहा था कि निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे । लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी फिर आप कह रहे हैं कि जांच बैठाया गया है, कार्रवाई की गयी है तो क्या सरकार विधान सभा की कमिटी विधायकों की बनाकर मामले की जांच कराना चाहती है?

अध्यक्ष: आप और अधिक समय लगाना चाह रहे हैं क्या ? जब सरकार कह रही है कि तीन महीने में कार्रवाई कर देंगे । अब जाने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल: महोदय, सरकार एक साल में कार्रवाई नहीं की है । आप कहते हैं तीन महीने एक साल बीत गया कार्रवाई नहीं हुई है । हम मांग करते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि सरकार जांच नहीं करा रही है विधान सभा की समिति बनाकर शिक्षा के अधिकार के मामले को पूरे बिहार में जांच कराने का हम मांग करते हैं ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-2 (श्री मिथिलेश तिवारी)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री: खंड क- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि 60 वर्ष या उससे अधिक बी.पी.एल. परिवार के वृद्ध को केन्द्र सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 400 रू0 प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाता है । 400 रू0 प्रतिमाह पेंशन में 200 रू0 प्रतिमाह केन्द्र सरकार द्वारा जबकि 200 रू0 प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है । वैसे गरीब व्यक्ति जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में किसी कारणवश शामिल नहीं है परंतु उनका वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 5500 रू0 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 5 हजार से कम है उन्हें राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 400 रू0 प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्रावधान है ।

खंड-ख: स्थिति स्वत: स्पष्ट कर दी गयी है ।

खंड-ग : सरकार द्वारा सभी गरीब परिवार के वृद्ध व्यक्ति को पेंशन देने की सुविधा पूर्व से उपलब्ध है ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन को बताया है कि बी.पी.एल. में जिनका नाम है और 60 साल की आयु पूरा कर चुके हैं उनको भारत सरकार द्वारा जो इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन जो चल रही है उसके अंदर प्रावधान है लेकिन जो राज्य सरकार ने वैसे लोगों के लिए प्रावधान किया है जिनका बी.पी.एल. में नाम नहीं है अत्यंत ही निर्धन हैं, और जो भी मापदंड है लेकिन उस आधार पर बिहार के किसी जगह पर इस प्रकार की योजना नहीं चल रही है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं सदन के माध्यम से आपके माध्यम से कि क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई दिशा निदेश सभी संबंधित अधिकारियों को निर्गत किया है और वह कब किया है और कोटि में अबतक कितने लोगों को पेंशन दी जा रही है ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री: माननीय सदस्य, आदरणीय तिवारी जी अभी विभाग के पास वैसा कोई नियम नहीं है कि बी.पी.एल. परिवार से हटकर विभाग पेंशन दे सके वृद्ध को । बी.पी.एल. परिवार से हटकर पेंशन देने की बात है तो शहरी क्षेत्र में 55 सौ वार्षिक आय की दर पर और ग्रामीण क्षेत्र में 5 हजार प्रतिवर्ष आय की दर पर वृद्धावस्था अभी दे रही है । अभी विभाग के पास में वैसा कोई नियम नहीं है इसलिए संबंधित विभाग में एस.डी.ओ. को ऐसा कोई निदेश अभी तक नहीं दिया गया है ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन में इस बात को कहा है कि सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है । मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि अगर इस प्रकार की योजना नहीं है तो केवल अखबार में बड़ा

बड़ा नाम छपवाने के लिए सरकार की तरफ से यह बयान क्यों दिया जाता है कि सभी वैसे जिनका नाम बी.पी.एल. में नहीं है उनको भी यह पेंशन की सुविधा मिलेगी ।

अध्यक्ष: अभी तो जो स्थिति है सरकार की तरफ से बता दी गयी है न । उससे आगे क्या पूछना है पूछिये ?

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि बिहार में यह भी प्रावधान है कि जिनकी आय 5 हजार से कम है उनको दिया जा रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाह रहा हूं कि इंदिरा गांधी पेंशना योजना के अलावा राज्य सरकार जो यह पेंशन दे रही है वह बिहार में कितने लोगों को दे रही है और बिहार सरकार का लक्ष्य क्या है ?

अध्यक्ष: उन्होंने तो कहा, सरकार ने आपको बताया कि जिनको वृद्धावस्था पेंशन 400 रू0 प्रतिमाह मिल रहा है उसमें 200 रू0 केन्द्र सरकार का और 200 रू0 राज्य सरकार का है । उन्होंने तो विस्तार से बताया है ।

श्री मिथिलेश तिवारी: लेकिन महोदय वह तो केवल बी.पी.एल. लोगों का है केवल जिनका नाम बी.पी.एल. में है ।

अध्यक्ष: वह तो सरकार भी कह रही है ।

श्री मिथिलेश तिवारी: जी ।

अध्यक्ष: तो आप जानना क्या चाहते हैं ?

श्री मिथिलेश तिवारी: हम जानना चाहते हैं महोदय जिसका जिक्र मंत्री जी ने भी किया है कि जिनका सालाना आय 5 हजार रू0 से कम है और वैसे लोग जिनका बी.पी.एल. में भी नाम नहीं है और 60 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं वैसे लोग लाखों की संख्या में बिहार में घूम रहे हैं फौर्म भरकर और उनको ये सुविधा नहीं मिल रही है । तो यदि सरकार ने यह प्रावधान किया है तो माननीय मंत्री बतायें ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, वैसे लोग जिनका बी.पी.एल. सूची में नाम नहीं आ पाया है उनके लिए कोई विचार करेगी सरकार या कर रही है यह माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का विचार बहुत ही नेक है । लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई मेरे विभाग में प्रावधान नहीं है विभाग विचार करेगी ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन में खुद कहा है कि 5 हजार से कम आय वाले के लिए सरकार ने प्रावधान किया है और फिर माननीय मंत्री कह रही हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

अध्यक्ष: उन्होंने यह भी कहा कि आपका विचार नेक है ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, मेरा विचार नेक है सरकार का विचार नेक नहीं है । हम तो यह प्रश्न उठा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, यह मामला सीधे गरीब से जुड़ा हुआ है । महोदय, सरकार को बताना पड़ेगा, सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा । महोदय, यह मामला छूटने वाला नहीं है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल:महोदय, माननीय मंत्री महोदया का बयान सदन में आ गया है । प्रोवीजन है 5 हजार और 55 सौ का । फिर सरकार पीछे हट रही है । हम चाहेंगे महोदय कि जो ए.पी.एल. के लोगों को देने का सरकार ने व्यवस्था की है तो सरकार घोषणा करे विज्ञापन निकल रहा है आवेदन लिया जा रहा है कार्रवाई नहीं हो रही है । हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री का बयान आया है उस पर कार्रवाई करने का काम करे ।

<u>अल्प सूचित प्रश्न संख्या-3 (श्री भाई वीरेन्द्र)</u>

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक-2064 दिनांक 23.12.16 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अरवल, बांका, दरभंगा, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लक्खीसराय, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली एवं खगड़िया छोड़कर अन्य जिलों में संबंधित नियोजन इकाई द्वारा नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं करने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 376 दिनांक 25.02.17 द्वारा जिला पदाधिकारी को दोषी पदाधिकारी कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है ।

श्री भाई वीरेन्द्र: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह निदेश कब दिया गया है और कितने दिनों के अंदर में इनके निदेश को पालन कर इनको जवाब आएगा ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: विभागीय पत्रांक 376 दिनांक 25.02.17 को जिला पदाधिकारियों को पत्र दिया गया है कि इसके उपर जहां जहां सम्पन्न नहीं हुआ है लेकिन जहां सम्पन्न नहीं हुआ है वहां भी फिफथ चरण का नया फेज का हमलोग तरंत मैट्रिक परीक्षा के बाद नया प्रोसेस करेंगे ।

अध्यक्ष: वीरेन्द्र जी आपको तो संतुष्ट होना चाहिए कि आपके प्रश्न का असर दिखाई दे रहा है ।

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय और जिन लोगों की गलती से यह छूटा है उन पर कार्रवाई निश्चित होना चाहिए, सरकार की पारदर्शिता है यह ।

श्री प्रेम कुमार,नेता, विरोधी दल: महोदय, यह मामला 2011 का है । इसमें महोदय लिखा गया है कि 2011 में टी.ई.टी.एस.टी.ई.टी. उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी को । तो 2011 का मामला महोदय है सरकार अब जगी है 2017 में और सरकार का आदेश हुआ है कि जिनके द्वारा जो नियुक्ति नहीं की गयी है इससे राज्य के बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है । शिक्षा हमारा प्रभावित बिहार का हो रहा है । और सरकार 2011 के मामला को

2017 में जांच का आदेश दिया है । हम चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से आप समय फिक्स मत कीजिये, निदेश नहीं दीजिये आप समय तय कीजिये तीन महीने के अंदर में, चार महीने के अंदर में छः महीने के अंदर में वैसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने नियुक्ति के मामले में उपेक्षा करने का काम किया है राज्य के शिक्षा को प्रभावित करने का काम किया है ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: सर आप लीडर ऑफ आपोजीशन हैं 2011 में टी.टी. पास है इसके फेज वाइज हो रहे हैं एप्वायंटमेंट । पंचम् चरण का हमने निकाला है 23.12.2016 को फिफ्थ फेज का यह 2011 का मामला नहीं है 2011 में टी.टी. पास विद्यार्थी हैं । इसको फेज वाइज हमलोग एप्वांट कर रहे हैं । यह फिफथ फेज का है यह मामला 2016 का है 2011 का नहीं है । आप लर्नेड लीडर हैं, इतने पुराने लीडर हैं आप कह रहे हैं 2011 का मामला 2016 में निकाल रहे हैं ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल: 2016 का ही मामला महोदय मानता हूं । आप 2017 में जगे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: बात तो सुना जाय सर । 23.12.16 को फिफ्थ चरण के एप्वायंटमेंट के लिए हमने नोटीफिकेशन निकाला कि आप नियोजन ईकाई के फिफ्थ चरण के बहालियों को पूरा करिये जो जो हमारे पास वेकेंसी है । इन जिलों ने किया बाकी जिलों ने नहीं किया । उसके लिए हमने 23.12 को हमने वेकेंसी का निकाला कि आपको करना है । 25.02.16 को हमने कहा कि जहां जहां आपने नहीं किया है उनलोगों पर कार्रवाई डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट के लुकावन लोगों पर कार्रवाई कीजिये 23.02 को हमने लिखा है । जवाब लगभग 10-15 दिनों में आएगा उनलोगों पर कार्रवाई करेंगे जो लोग नये फिफ्थ चरण में जहां जहां नहीं हुए हैं उनका हम शिड्युल निकालेंगे । हम कहां यहां पर फाल्ट में हैं ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल: आप समय तय कीजिये कब तक कार्रवाई होगी । चिट्ठी आपने दिया है डी.एम. लोगों को ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, आप देख लीजिये कि पांचवा चरण जल्दी से पूरा हो जाय ।

टर्न-3/28.2.2017/बिपिन

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या: 113 (श्री रत्नेश सादा)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या: 114 (डॉ0 मेवालाल चौधरी)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या: 115 (श्री जिवेश कुमार)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आपको है ऑथोराइजेशन ? आप फोन दिखा रहे हैं । आप फोन तो पहले पॉकेट में रखिए ।

श्री संजय सरावगी : जी । दूसरे जगह से मेल किए हैं ।

अध्यक्ष : सभा को सूचना दे देते न ! ठीक है आगे से दे दीजिएगा ।

श्री संजय सरावगी : जी । पूछता हूं ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय,1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा एवं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 169 दिनांक 26.2.2017 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन को सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजते हुए साक्ष्य सहित प्रतिवेदन की मांग की गई है ताकि प्रश्नगत् मदरसे के प्रस्वीकृति को निरस्त कर दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा जाए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे दोषी पदाधिकारी पर, तो एक समय सीमा जो है सरकार तय कर दे कि कितने समय सीमा के अंतर्गत यह कार्रवाई होगी ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: आप ही बताइए कितना जल्दी चाहते हैं उतना ही जल्दी कर देंगे ।

श्री संजय सरावगी: चलते सत्र में कार्रवाई करके जवाब दे दीजिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: ठीक है चलते सत्र में ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 116 (श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय को सुदृढ़िकरण हेतु कर्णांकित राशि उपलब्ध करायी गयी थी । विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा सुदृढ़िकरण का कार्य ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण ए0सी0/डी0सी0 के सामांजन के क्रम में कर्णांकित राशि को संगत शीर्ष में जमा करायी गयी है ।

विभागीय पत्रांक 170 दिनांक 04.02.2017 द्वारा संबंधित जिले को अपूर्ण विद्यालय के संबंध में अद्यतन अनुसूची दर पर प्राक्कलित राशि की याचना करने का निदेश दिया गया ।

जिले से अद्यतन अनुसूची दर पर प्राक्कलित राशि की याचना प्राप्त होने पर राशि उपलब्ध करायी जायेगी ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, पिछले बार भी अधियाचना का सवाल था, तो हुआ कि अधियाचना किया गया है तो विभाग ने अभी तक अधियाचना नहीं किया तो इसके लिए जिम्मेवार जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिएगा ?

पिछले बार भी अधियाचना की बात आई थी कि सरकार ने अधियाचना के लिए निदेश दिया है तो उधर से अधियाचना अभी तक नहीं गया और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे का सेसन पिछुआ रहा है । इसके लिए किस पर जिम्मेवारी तय की जाएगी ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: विभागीय पत्रांक 170 दिनांक 04.2.2017 द्वारा संबंधित जिले को पूर्ण विद्यालय के संबंध में अद्यतन अनुसूची दर पर प्राक्कलित राशि की याचना करने का निदेश दिया गया है, सर, वह आ जाता है अभी तो हमलोग दिया ही है 04.2.2017 को, तो वह आ जाता है तो जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे और जल्द-से-जल्द स्कूल बनाने का व्यवस्था करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 117 (श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन)</u>

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि 205 कोटि के मदरसा कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायक अनुदान की राशि सरकार द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड को वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध करा दिया गया है एवं भुगतान की कार्रवाई मदरसा बोर्ड द्वारा की जा रही है ।

609 कोटि के मदरसा कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है जिसे 15 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जायेगा । भविष्य में ससमय राशि की व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि 609 कोटि के मदरसा शिक्षकों को वर्त्तमान् वित्तीय वर्ष में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा । 205 एवं 609 कोटि के मदरसा शिक्षकों को प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के अनुरूप वेतनमान् प्रदान करने के संबंध में समीक्षा कर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन: अध्यक्ष महोदय, 2011 में सरकार ने निर्णय लिया था कि तमाम सरकारी विद्यालयों के समतुल्य राशि का भुगतान मदरसों को किया जाएगा लेकिन अभी

01जुलाई 2015 से जो भुगतान किया जा रहा है वेतनमान में, वह राशि मदरसों को वेतनमान नहीं दिया जा रहा है । 2011 का सरकार का ही निर्णय है तो 2015 में फिर क्यों नहीं वह समान वेतन दिया जाएगा ?

अध्यक्ष : इसके बारे में तो मंत्री ने बताया है आपको कि 205 वाले के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है, 609 वाले का 15 दिन में कर दिया जायेगा, आगे से ससमय हो जाएगा, इसका ध्यान रखा जाएगा । तीनों बातें कही है ।

श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन: नहीं सर, 10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था उसकी बात कर रहे हैं । जो समान वेतन, जो 2011 में सरकार का निर्णय था, उस संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया है कि जब 2011 में सरकार ने निर्णय ले लिया था तो 2015 से जो वेतन बढ़ा है उस पर यह स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: 205 एवं 609 कोटि के मदरसे शिक्षकों को प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के अनुरूप वेतनमान प्रदान करने के संबंध में समीक्षा कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा । सर, मदरसों में दो कैटेगोरी के मदरसे हैं - एक मदरसा है जो एफ्लीएटेड है जिसको हम प्रस्वीकृति देते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट कमिटी टीचर एप्वायंट करती है और उसको सरकार पैसा देती है । जो सरकारी मदरसे हैं उनका हमलोगों ने अपग्रेड कर दिया है लेकिन जो एफ्लीएटेड हैं मदरसे, उनका एफ्लीएशन नहीं हुआ है, उसके बारे में हमने कहा है कि इस पर हम जल्द-से-जल्द निर्णय करेंगे ।

श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन:महोदय, 2011 में सरकार ने निर्णय लिया था तो फिर वेतन बढ़ने पर पुन: समीक्षा की आवश्यकता कहां लगती है इसमें सर ? जब सरकार ने समीक्षा करके 2011 में निर्णय लिया था कि समान वेतन देंगे स्कूल के बराबर तो फिर फिर 2015 में पुन: समीक्षा की आवश्यकता कहां लगती है ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: हमने लिखा है सर कि जो एफ्लिएटेड मदरसे हैं उस पर जब सरकार का निर्णय हुआ था तो उसके उपर स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया था लेकिन यह जो प्रश्न आया था उसके बाद हमने समीक्षा किया है, उसमें इसको एक महीने के अंदर हम इस पर टाइम सरकार से किए थे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 118 (सुश्री पुनम पासवान)</u>

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: महोदय, 1. कटिहार जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति के लिए राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, सन्हैली तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, नीमा, कटिहार संचालित है जहां पलका प्रखंड से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र प्रवेश परीक्षा में भाग लेकर नामांकन कराकर अध्ययन कर सकते हैं ।

2. सम्प्रति कटिहार जिला के पलका प्रखंड में आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सुश्री पुनम पासवान : अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं अध्यक्ष जी मंत्री महोदय से कि विचाराधीन नहीं है लेकिन क्या सरकार उसको खोलने के लिए क्योंकि वहां काफी पिछड़ा इलाका है और ट्राइबल और एस.सी. सुरक्षित क्षेत्र है और काफी दूर पड़ती है क्योंकि वहां आने-जाने का, आवागमन का दिक्कत है । इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर सरकार विचार रखती है फलका ब्लॉक में खोलने के लिए ताकि हमारे एस. सी./ एस.टी. के लोगों को काफी सुविधा होगी । अगर सरकार के पास विचार है तो निश्चित तौर पर खोलने का विचार रखें ।

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री: महोदय अभी प्रस्ताव नहीं है और वैसे कटिहार जिला के जितने अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चे हैं वो जो हमारे आवासीय विद्यालय हैं उसमें नामांकन करा कर पढ़ते हैं । आगे जो प्रस्ताव आएगा तो हम देख लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री शकील अहमद खान: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, जी कटिहार की भौगोलिक स्थिति को जान गए होंगे । उस इलाके में एक तो यह रिजर्व सीट है, दूसरी बात है यह कि मनीहारी या कदवा क्षेत्र में या वारसोई क्षेत्र में भी ट्राइबल्स है । कमिटमेंट का सवाल है । कमिटमेंट आप दे दीजिए एस.सी./ एस.टी. होस्टल के साथ स्कूल खोलना एक कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट दे दीजिए कि वहां खोला जाएगा .. (व्यवधान)

टर्न-04/कृष्ण/28.02.2017

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 119(श्री मो0 तौसीफ आलम)</u>

श्री चंद्रिका राय,मंत्री : अध्यक्ष : खंड-1 उत्तर स्वीकारात्तमक है ।

खंड-2 निगम के बस बेड़े में वौल्वो बस नहीं रहने के कारण विषयांकित मार्ग पर वर्तमान में परिचालन विचाराधीन नहीं है ।

श्री मो0तौसीफ आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार कोई अलग से योजना ला करके बहादुरगंज से पटना आने के लिये परिवहन निगम की कोई बस खोलना चाहती है ?

अध्यक्ष : आप कोई बस चाहते हैं कि वाल्वो बस चाहते हैं ?

श्री मो0 तौसीफ आलम : कोई भी सरकारी सुविधा उपलब्ध कराया जाय । बहादुरगंज से दूरी 360 किलोमीटर हो जायेगा और अगर किशनगंज जाया जाता है तो 400 कि0मी0 से ज्यादा हो जाता है । इसलिए हम चाहेंगे कि वहां की सुविधा को देखते हुये चूंकि वहां से आदमी का आना-जाना डेली रहता है ।

श्री चंद्रिका राय,मंत्री : इस पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष : जब आप कोई बस चाहते हैं तब सरकार विचार करेगी ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : एक समय-सीमा बताया जाय ।

अध्यक्ष : विचार करने दीजिये तब न समय-सीमा बतायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 120 (श्री अभय कुमार सिन्हा उर्फ अभय कुशवाहा)

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड : क. अस्वीकारात्मक है ।

खंड : ख. गया जिला में कुल 3 उच्च विद्यालय, 1 मध्य विद्यालय तथा 9 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं । इस प्रकार कुल 13 आवासीय विद्यालय संचालित है । संप्रति गया जिला के कोच एवं टेकारी प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहूंगा कि चूंकि कोच और टेकारी सुदूर इलाका है, अगर वहां पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोला जाता है तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बहुत अधिक लाभ होगा । इसलिए मेरा आग्रह होगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करें ।

अध्यक्ष ठीक है ।

श्री विनोद कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने बताया कि वहां तीन विद्यालय संचालित हैं । उन विद्यालयों में सीट काफी कम है, जिसके चलते वहां के आस-पास के बच्चों को कम अवसर मिलता है तो क्या मंत्री महोदय संचालित विद्यालयों में छात्रों का स्ट्रेंथ बढ़ाने का विचार रखते हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चों का उसमें नामांकन हो सके ।

अध्यक्ष : आप इसमें तीसरा एंगिल कहां से लगा दिये ?

श्री विनोद कुमार यादव : यदि विद्यालय खोलने का विचार नहीं है महोदय, तो जो विद्यालय चल रहे हैं, उन विद्यालयों में सीट बहुत लिमिट है ।

अध्यक्ष : मूल प्रश्न है कि माननीय सदस्य टेकारी और कोच में खोलवाना चाह रहे हैं और आप दूसरी जगह संख्या बढ़वा कर वहां परमानेंट नहीं खोलवाना चाहते हैं ?

प्रश्न तो है खोलवाने का न ।

श्री विनोद कुमार यादव :+ महोदय, माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि वहां 3 विद्यालय संचालित हैं तो उसके उत्तर में कहा गया है । उसके संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : महोदय, 3 विद्यालय नहीं है, 13 विद्यालय हैं गया में और बिहार में सबसे ज्यादा गया जिला में आवासीय विद्यालय है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 121 (श्रीमती गुलजार देवी)

श्री शिवचन्द्र राम,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक-एक आउट डोर स्टेडियम निर्माण कराने का लक्ष्य है । जहां तक मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास विधान सभा के तीन प्रखंडों यथा -फुलपरास, घोघरडीहा एवं मधेपुर में स्टेडियम निर्माण कराने का प्रश्न है, उसके संबंध में मुख्य सचिव के पीतपत्र संख्या 548 दिनांक 09.05.2016 के आलोक में सरकारी निर्णयानुसार राज्य में पूर्व से स्वीकृत स्टेडियम निर्माण की योजना के पूर्ण होने पर तथा इसकी उपयोगिता निर्धारण के पश्चात् नये स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 122 (श्री रवि ज्योति कुमार)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा की जानेवालाी योजनाओं में राज्य के बाहर से पत्थर मंगाकर उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

खंड 2 : उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 123 (डा0 सी0एन0गुप्ता)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुतः राज्य के विश्वविद्यालयों में ससमय परीक्षा आयोजित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षा कैलेण्डर प्रकाशित करने एवं तत्संबंधी सूचना विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश विभागीय पत्रांक 40 दिनांक 12. 01.2016, पत्रांक 1457 दिनांक 13.12.2016 तथा पत्रांक 93 दिनांक 02.02.2017 द्वारा दिया गया है । राज्य सरकार ससमय परीक्षा कराने हेतु प्रयत्नशील है । जय प्रकाश विश्वविद्यालय,छपरा में पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति लगभग एक माह पहले हुई है। उन्हें भी इस आशय से अवगत कराया जा रहा है ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत परीक्षा संचालन का का दायित्व पूर्णतः विश्वविद्यालय का है ।

महोदय,जे0पी0 विश्वविद्यालय ने अपने स्तर से अवगत कराया है कि सभी लंबित परीक्षायें मई,2017 तक संचालित कर ली जायेगी और परीक्षाफल 45 दिनों के अंदर प्रकाशित करा दी जायेगी ।

डा0सी0एन0गुप्ता : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो पूरा लंबा कालखंड है, इससे लगभग 60 हजार विद्यार्थी प्रभावित हैं । माननीय मंत्री ने कहा है कि इतने दिनों के अंदर में परीक्षा ले ली जायेगी । लेकिन जिन विद्यार्थियों का नामांकन 2014-17 के लिये हुआ था, क्या उन विद्यार्थियों का परीक्षाफल 2017 में घोषित कर दी जायेगी तीनों खंडों की ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, जे0पी0 विश्वविद्यालय ने अपने स्तर से अवगत कराया है कि सभी लंबित परीक्षायें मई,2017 तक संचालित कर ली जायेगी और परीक्षाफल 45 दिनों के अंदर प्रकाशित कर दिया जायेगा ।

डा0सी0एन0गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिसका बी0ए0 (ऑर्नस) पास आउट 2017 में हो जाता है तो क्या 2017 में उनकी परीक्षा पार्ट-1 की होगी या तीनों पार्टों की परीक्षा एक साथ होगी और उसका कोई साल बर्बाद तो नहीं होगा ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : पूरा शेड्यूल तो बता ही दिये कि मई,2017 तक परीक्षा हो जायेगी ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, तीनों पार्ट की परीक्षा एक साथ कैसे हो जायेगी ?

अध्यक्ष : यूनिवर्सिटी ने उनको बताया है कि मई,2017 तक परीक्षा हो जायेगी और 45 दिनों के अंदर रिजल्ट निकल जायेगा, सरकार बता रही है ।

डा0सी0एन0गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें स्पष्टता चाहता हूं । मई,17 में यह परीक्षा पार्ट-1 की होगी या तीनों पार्ट की परीक्षा एक साथ होगी ? चूंकि जिन्होंने 2014 में एडमिशन लिया और 2015 से 2017 तीन साल उनका बीत गया । तो तीन सालों के बाद केवल पार्ट-1 की परीक्षा होगी या तीनों पार्ट की परीक्षा एक साथ होगी । उनका साल बर्बाद होगा या बचेगा ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी । यूनिवर्सिटी से इसका निदान करेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 124 (डा0 रंजू गीता)</u>

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बाजपट्टी बोखड़ा एवं नानपुर प्रखंड में अवस्थित 9 विद्यालयों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के माध्यमिक शिक्षकों की स्थिति निम्नवत् है :-

विषय	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
गणित	11	10	1
विज्ञान	10	4	6
अंग्रेजी	10	6	4

पंचम चरण अन्तर्गत प्रश्नाधीन विद्यालय में शिक्षक नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है । नियोजन की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत प्रश्नाधीन विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता संभावित है ।

डा0रंजू गीता :अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि जो आंकड़े दिये गये हैं, वे सरासर गलत दिये गये हैं । मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान और विगत महीनों में सभी उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यपकों के साथ बैठक की थी उसमें उच्च विद्यालय मधुबनबसा(बालक),उच्च विद्यालय,रामावतार राय, उच्च विद्यालय,कोयली, उच्च विद्यालय,बुजुर्गहरपुरवा, उच्च विद्यालय, बनौल, उच्च विद्यालय,रतवारा, उच्च विद्यालय,पचरानिमाही, उच्च विद्यालय,बाजिदपुर इन सभी विद्यालयों में गणित के शिक्षक, अंग्रेजी के शिक्षक और विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं । तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि कब तक इन विद्यालयों में इन तीनों विषयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, पंचम चरण के अप्वायंटमेंट के संबंध में हमने कहा कि प्रोसेस में है । जहां-जहां नहीं हुआ है, हमलोग सेकेंड शिड्यूल निकाल रहे हैं । जैसे ही अप्वायंटमेंट होगा, उन स्कूलों में टीचर्स दे दिये जायेंगे ।

डा0 रंजू गीता : महोदय, मैं नियोजन की बात नहीं कर रही हूं, प्रतिनियुक्ति की बात कर रही हूं । जिन विद्यालयों में जिले में ज्यादा शिक्षक हैं और जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं उन विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति की बात मैं कर रही हूं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, इसको देखवा लीजिये । अगर बीच में डिपुटेशन किया जा सकता है, उसकी बात कीजिये ।

टर्न-5/राजेश/28.2.17

तारांकित प्रश्न संख्या:-125 (श्री हरिनारायण सिंह)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री:- वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिलान्तर्गत हरनौत प्रखंड के ग्राम पंचायत डिहरी अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय हासनचक में 02 वर्ग कक्ष है तथा कुल छात्र-छात्राओं की संख्या-170 है ।

उक्त विद्यालय के अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में राशि की मांग की गई है । राशि उपलब्ध होने के उपरान्त अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जा सकेगा ।

श्री हरिनारायण सिंह:- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, वहाँ पर 170 विद्यार्थी भी है लेकिन कमरा मात्र एक ही है, तो कैसे क्लास चल सकता है। इसलिए क्या सरकार वहाँ पर अतिरिक्त कमरे का निर्माण कराना चाहती हैं ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री:- महोदय, हमने तो कहा है कि 170 विद्यार्थी हैं, दो वर्ग कक्ष चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2017-18 में सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में राशि की मांग भारत सरकार से की गयी है, जैसे ही राशि उपलब्ध होगी, इनका काम हमलोग करा देंगे ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल:- अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष:- प्रेम बाबू आप हरिनारायण बाबू की मदद क्यों कर रहे हैं, वे तो स्वयं ही शिक्षा मंत्री रहे हैं ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल:- अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे बिहार की चिंता कर रहा हूँ, सरकार चिंता नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह गृह जिला है.....

अध्यक्ष:- प्रेम बाबू आपको तो स्मरण होगा, जब आप पथ निर्माण मंत्री थे, तो वे स्वयं शिक्षा मंत्री थे, इसलिए शिक्षा विभाग की सभी बारीकियों एवं पेचीदियों से वे स्वयं अवगत है । वे माननीय मंत्री से इसका समाधान करा लेंगे ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल:- महोदय, मुझे चिंता इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह गृह जिला है, अब गृह जिला में बच्चे एक ही कमरे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने चिंता व्यक्त किया है और महोदय सरकार कह रही है कि भारत सरकार पैसा देगी, ठीक है हम पैसा दिलवायेंगे लेकिन क्या यह सरकार इस काम को नहीं कर सकती थी ? इसलिए महोदय हम आग्रह करेंगे कि राज्य योजना के बजट से वहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए कमरे का निर्माण कराने का आप काम करें ।

अध्यक्ष:- ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या:-126 (श्री विजय कुमार सिन्हा)</u>

श्री शिवचन्द्र राम, मंत्री:- अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक-एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । जहाँ तक लखीसराय जिला के बड़हिया एवं रामगढ़ प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण का प्रश्न है, इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार के पीतपत्र संख्या-548 दिनांक 9.5.2016 के आलोक में सरकारी निर्णय के अनुसार राज्य में पूर्व से स्वीकृत स्टेडियम निर्माण की योजना के

पूर्ण होने पर तथा इसका उपयोगिता निर्धारित होने के उपरान्त नये स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा:- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी इसी सदन में घोषणा किये थे प्रखंड स्तर पर स्टेडियम बनाने का । तो माननीय मंत्री यह बता दें कि लख्खीसराय के किसी भी प्रखंड में बना है स्टेडियम क्या ? जवाब हमको लटपटाकर देना है, अगर इन्हें नहीं बनाना है, तो ये स्पष्ट बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा है,कहीं अगल-बगल का जिला मुंगेर, जमुई, शेखपुरा कहीं भी नहीं बना है, तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि ये बतायें कि सरकार की यह घोषणा कहॉ जमीन पर उतरा है, यह स्पष्ट बताया जाय, शौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में बैठे हुए हैं और यह इनकी घोषणा है बच्चों के डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए । इसलिए आप स्पष्ट बतायें कि मेरे जिले के अंदर कहॉ पर आपका प्रस्ताव है, कहीं बना है, अगर नहीं बना है तो वह भी स्पष्ट करें ।

श्री शिवचन्द्र राम,मंत्री:- अध्यक्ष महोदय, पहले से ही हमारे यहॉ 241 स्टेडियम का निर्माण का कार्य चल रहा है, उसके अन्तर्गत अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, तो इन्हें मैं सूची उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा:- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी प्रखंड स्तर को छोड़ दें, हमारे यहॉ जिला स्तर पर भी स्टेडियम नहीं है, प्रभारी मंत्री हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रवण बाबू है, एक स्टेडियम गॉधी मैदान में शुरु हुआ, पॉच साल से वह अटका पड़ा है, इस बार 20 सूत्री की बैठक में उसपर जांच बैठायी गयी लेकिन आज तक वह पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप कम से कम जिला में भी स्टेडियम बनाने का तो घोषणा करें । अध्यक्ष महादय, एक बार माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि जिला में, प्रखंड स्तर पर, स्टेडियम कब तक बनेगा, क्योंकि यह सरकार की घोषणा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा है ?

अध्यक्ष:- आप सुनियेगा तब न । सरकार ने तो आपको बताया कि इस योजना के तहत 241 स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है, उनके पूरा होने पर आपके प्रखंडों पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री विजय कुमार सिनहा:- हमारे जिला में एक भी स्टेडियम नहीं है तो हमारे लख्खीसराय जिला के साथ सौतेलापन क्यों ?

अध्यक्ष:- एक तो आप अपने गला का ख्याल रखा कीजिये, ये लोग आपको कहीं-कहीं उलझा देते हैं और कंस्टिचुऐंसी के समय आपका गला साथ नहीं देता है । इसलिए अगर लखीसराय जिला में एक भी स्टेडियम नहीं है तो सरकार निश्चित रुप से इसको देखेगी।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल:- अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी मदद कर रहा हूॅ ।

अध्यक्ष:- ठीक है । लेकिन आपकी मदद के बाद भी उनका गला साथ नहीं दे रहा है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल:- इसलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उसका तो ख्याल रखिये कम से कम । जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिये तो इसका निराकरण करवा दीजिये ।

अध्यक्ष:- ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या:-127 (श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री:- महोदय, खण्ड 1:- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2:- बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम 1981 की धारा-3-(3) जिसमें विद्यालय के अधिग्रहण का प्रावधान था, को बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम-1994 के द्वारा अधिनियम 1981 की धारा-3-(3) को विलोपित किया जा चुका है । फलस्वरुप अब विद्यालयों के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह:- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूँ कि यह गैर सरकारी स्कूल है, आम जनता ने शिक्षा में प्रगति लाने के लिए अपने खून-पसीना से इस विद्यालय को स्थापित किया, सारे मापदंडों को इसने पूरा किया है, प्रस्वीकृति आपने दी है और सरकार का निर्णय है कि प्रत्येक पंचायत में जहाँ विद्यालय नहीं हैं वहाँ सरकार विद्यालय खोलेगी, तो 10 किलोमीटर में जब कहीं कोई हाई स्कूल नहीं है, तो वहाँ के बच्चों को पढ़ने में कितना कठिनाई होगी, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब सरकार का फैसला है कि जिस पंचायत में विद्यालय नहीं है वहाँ विद्यालय खोला जायेगा, चाहे वहाँ मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय किया जायेगा, तो माननीय मंत्री जी को कौन सी परेशानी है जबकि वहाँ 10 किलोमीटर में कोई हाई स्कूल नहीं है, वहाँ मिडिल स्कूल भी कोई उत्क्रमित नहीं है, प्रस्वीकृत वहाँ माध्यमिक विद्यालय है, तो क्या इसको सरकारीकरण करने में कोई दिक्कत है, इसको स्पष्ट किया जाय ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री:- अध्यक्ष महोदय, सरकार 1994 में ही सरकारीकरण नही करने का निर्णय किया है । जहाँ तक हाईस्कूल में बच्चों को पढ़ाने की सुविधा का सवाल है, तो माध्यमिक विद्यालय वहाँ पर है, आने वाले वित्तीय वर्ष में उसको उत्क्रमित कर दिया जायेगा ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह:- महोदय, कब तक इसको अधिग्रहण किया जायेगा ?

अध्यक्ष:- आप माननीय सत्यदेव बाबू, सरकार का जो जवाब है उसको तो समझ लीजिये । आप हमेशा अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, सरकार उत्क्रमण की बात कह रही है । सरकार का निर्णय है कि जिस पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं है, वहाँ अगर सभी मापदंडों को

पूरा करेंगे, तो उस मध्य विद्यालय को उत्क्रमण करेगी । आप स्वयं कह रहे हैं कि आपके इस पंचायत में एक उच्च विद्यालय पूर्व से कार्यरत है ।

टर्न-6/सत्येन्द्र/28-2-17

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: नहीं,कौन कह दिया, हमने जो कहा है हमारी बात को मंत्री जी नहीं समझ सकें ।

अध्यक्ष: आप ही कह रहे हैं कि ..

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: इन्होंने गलत उत्तर दिया है । उस पंचायत में एक भी हाई स्कूल नहीं है और 10 कि0 मी0 के रेडियस के चौहद्दी में कोई हाई स्कूल नहीं है सरकारी ।

अध्यक्ष: राम बुझावन सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां पर है, उसी पंचायत में न ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: दूधरा में है, दूधरा पंचायत है।

अध्यक्ष: तो वहां हैं न उच्च विद्यालय ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: वहां उच्च विद्यालय नहीं है, कौन कह दिया कि उच्च विद्यालय है । मैं वहां का विधायक हूँ, कौन कहता है कि उच्च विद्यालय है, जो रिपोर्ट दिया है वह गलत रिपोर्ट है।

अध्यक्ष: वह किसी के रिपोर्ट में नहीं है, आपके प्रश्न में ही है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: जी नहीं, प्रश्न को पढ़ा जाय ।

अध्यक्ष: आप प्रश्न पढ़िये न ?

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: सर, पढ़ रहे हैं पहले, क्या यह बात सही है कि जिला सिवान के प्रखंड..

अध्यक्ष: अब हो गया । आप माननीय मंत्री जी से बात कर लीजियेगा ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, एक बात सुन लिया जाय । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इनको जो प्रतिवेदन जिला से प्राप्त हुआ है वो लगता है कि टेबुल रिपोर्ट है वे लोग अध्ययन नहीं किये हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है, मंत्री जी उसको फिर से दिखवा लीजिये । ठीक है, फिर से दिखवा लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 128 (श्रीमती सावित्री देवी)</u>

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: 1-अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं एवं कमजोर अल्पसंख्यक युवाओं को बुनियादी साक्षरता देने एवं विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन का कोई नया कार्यक्रम आरंभ नहीं किया गया था । तथ्य है कि भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसे भारत सरकार ने 2010-11 में बंद कर दिया ।

2-सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में 20 हजार उत्थान केन्द्र महादलित, दलित टोलों के लिए एवं 10 हजार तालिमी मरकज के केन्द्र अल्पसंख्यक बाहुल्य टोले में खोलने की अनुमति विभाग को दी गयी । तदनुसार विभाग द्वारा महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यकों की आबादी को ध्यान में रखते हुए जमुई जिला को 1068 उत्थान केन्द्र, 123 तालिमी मरकज केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा पूर्व से केन्द्र प्रायोजित योजना में कार्यरत (जो बिहार शिक्षा परियोजना से संचालित था एवं जिसे केन्द्र सरकार 2010-11 में ही बंद कर चुकी थी), लोगों की मांग पर 445 तालिमी मरकज संबंधी अल्पसंख्यक साक्षरता केन्द्र खोलने का अनुरोध शिक्षा विभाग को उनके पत्रांक 43 दिनांक 9-5-15 से प्राप्त हुआ ।

विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर से दो पदाधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करके वहां भेजकर जांच करायी गयी । जमुई जिला में तालिमी मरकज केन्द्रों की संख्या एवं उनसे संबंधित बिन्दुओं पर जांच कर जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में खोले गये तालिमी मरकज केन्द्र आवश्यकता आधारित नहीं थे एवं मांग आवश्यकता आधारित नहीं है ।

श्रीमती सावित्री देवी: अध्यक्ष जी, ये गलत है मंत्री जी जो कह रहे है सो ।

अध्यक्ष: आप सही बात मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

श्रीमती सावित्री देवी: पहले से पढ़ाई शुरू था और उसका नाम अभी तक नहीं भेजा गया ।

अध्यक्ष: आप सारी सूचना दे दीजियेगा न ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: हम एक्सप्लेन कर देते हैं अध्यक्ष महोदय, ये योजना भारत सरकार की थी भारत सरकार ने 2010-11 में इस योजना को बंद कर दिया । बिहार सरकार ने यह रियलाईज किया कि महादलित टोलों और अल्पसंख्यकों के लिए अब राज्य सरकार अपने मद से इसको योजना को चालू रखना चाहती थी इसीलिए 10 हजार मायनरोटी के लिए और 10 हजार महादलित के लिए टोलों का तालिमी मरकज का योजना प्लानिंग किया उसके हिसाब से इनलोगों ने स्टेट बाईज जो पोपुलेशन था और जो हमारे पास एभब्लिटी थी उसको हमलोगों ने डिस्ट्रीव्यूट किया लेकिन वहां पर लोग जो 2010-11 में भारत सरकार द्वारा बंद हो गया है, उतना तालिमी मरकज चाहते हैं इसीलिए परेशानी हो रही है लेकिन राज्य सरकार के पास जो व्यवस्था है उसके अनुसार हमने वहां पर ऑलरेडी जमुई में 163 हमने दिया है ।

श्रीमती सावित्री देवी: अध्यक्ष महोदय, हमारे पास सब सूचना है ।

अध्यक्ष: सब सूचना दे दीजियेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 129(श्री उपेन्द्र पासवान)</u>

श्री शिवचन्द्र राम,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । कला एवं संस्कृति के प्रदर्शन हेतु मंच एवं सुविधा उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है जिसके लिए प्रथमत: राज्य

के प्रमंडलीय जिला मुख्यालय के जिलों में मानक प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी के निर्माण की योजना है । पटना में प्रेमचंद रंगशाला एवं भारतीय नृत्य कला मंदिर के कारण इस मानक प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी के निर्माण की योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है । सम्प्रति दरभंगा एवं सहरसा प्रमंडलीय मुख्यालय के जिलों एवं मुंगेर संग्रहालय परिसर में प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि की विमुक्ति का आदेश क्रमशः आदेश संख्या 306 दिनांक 29-9-16 एवं 463 दिनांक 8-12-16 निर्गत है । प्रखंड स्तर पर प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

अध्यक्षः ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्या-130 (श्री अचमित ऋषिदेव)

श्री अशोक चौधरी,मंत्रीः 1- वस्तुस्थिति यह है कि उक्त अधिनियम के आलोक में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वैसे सभी बसाव क्षेत्र जहां 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कम से कम 40 हो, के 1 कि0मी0 सीमा के अन्तर्गत किया जाना है ।

2-वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के खरहट पंचायत के ग्राम नारायणपुर में गोड़ियारी महादलित टोला अवस्थित है । वर्ष 2012 में बसाव क्षेत्र से संबद्ध अथवा वैसे बसाव क्षेत्र जहां विद्यालय अवस्थित नहीं है के सर्वे में उक्त समय गोड़ियारी महादलित टोला में कुल आबादी 300 एवं 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 28 दिखायी गई थी । अतएव नये प्राथमिक विद्यालय के स्थापना की आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया था ।

वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में नया विद्यालय सृजन हेतु सर्वप्रथम भूमि का निबंधन होना अनिवार्य है । यदि उक्त बसाव क्षेत्र में विद्यालय खोलने हेतु भूमि उपलब्ध हो जाती है तो नियमानुसार नया विद्यालय सृजन हेतु प्राथमिकता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय,सदन में कहीं से रूई आ रहा है ।

अध्यक्षः रूई ?

श्री ललित कुमार यादवः जी देखा जाय न, सारे जगह डस्ट आ रहा है पूरे सदन में, देखिये न पूरे सदन में डस्ट आ रहा है । जब से सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है, तब से ही यह है।

अध्यक्षः ठीक है, उसको दिखवा लेते हैं । पूरक पूछिये अचिमत जी ।

श्री अचमित ऋषिदेवः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राम नारायणपुर गोड़ियारी महादलित टोला में शीघ्र एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाय ताकि गरीब महादलित बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा सकें ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि जब असेस्मेंट हमने 2012 में किया था तो जो एरिया जो महादलित टोला था वह क्राईटेरिया में नहीं आ रहा था अभी की परिस्थिति में माननीय सदस्य ने कहा है तो हमने उत्तर दिया है कि वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में नया विद्यालय सृजन हेतु सर्वप्रथम भूमि का निबंधन होना अनिवार्य है । यदि उक्त बसावट क्षेत्र में विद्यालय खोलने हेतु भूमि उपलब्ध हो जाती है तो नियमानुसार नया विद्यालय सृजन हेतु प्राथमिकता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

प्रश्न संख्या- 131(श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: 1-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन विद्यालय में 853 छात्र/छात्राएं नामांकित है साथ ही अध्यापन हेतु 7 वर्ग कक्ष उपलब्ध है।

2-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रश्नाधीन विद्यालय में वित्तीय वर्ष 2010-11 में 4 अतिरिक्त कमरे, 1 कम्प्यूटर कक्ष, 1 पुस्तकालय कक्ष के भवन निर्माण हेतु योजना स्वीकृत है ।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत भारत सरकार से राशि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव: अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र में भी माननीय मंत्री महोदय से मेरे सवाल का जवाब आया था था कि यथाशीघ्र वहां चार कमरा कम्प्यूटर कक्ष और एक प्रयोगशाला का निर्माण कराया जायेगा लेकिन आज एक साल पूरने के बाद भी वहां बच्चे जर्जर स्थिति में भवन बचा हुआ है उसका, पूरा एस्बेस्टेस टूटा हुआ है उस संबंध में लोगों ने रिपोर्ट किया, बच्चों को बैठने का जगह नहीं है यहां तक कि हाई स्कूल में तीन दिन बच्चे और तीन दिन बच्चियां क्लास करती है ।

अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव: अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो स्थिति है अभी शहरों में हाई स्कूलों में टीचरों की संख्या मुखर्जी सेमिनरी में 42 है, मरबाड़ी हाई स्कूल में 46 है, तिरहुत ऐकडमी में 38 है, चैपमैन बालिका उच्च वि0 में 40 है, द्वारिका नाथ हाई स्कूल में 40 है और हमलोगों के यहां ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 3 टीचर है । अधिकत्तर जो विषय है उसका शिक्षक तक नहीं है । वहां न बच्चों को बैठने का जगह है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि शिक्षक की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था कब तक करा दीजियेगा ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, टीचर के लिए हमने कहा सदन को कि फिफ्थ चरण का हमारा अप्यांटमेंट प्रोसेस चल रहा है जैसे ही अप्यांटमेंट कम्प्लीट होगा, हम टीचर यहां पर देंगे ।(क्रमश:)

टर्न-7/मधुप/28.02.2017

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : ..क्रमशः... यह प्रायोरिटी पर है । माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल हमारे प्रायोरिटी पर है, पंचम चरण का एप्वाइंटमेंट हम कर रहे हैं । कुछ जगहों पर जिलों में हुआ है और कुछ जिलों में मैट्रिक परीक्षा के बाद शिड्यूल नया आयेगा, उसको हमलोग बहाल करायेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है, बता दिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, हाई स्कूल के शिक्षकों को ऑप्शन दिया रहता है कि उनके च्वॉयस पर ही उनका योगदान होगा, जिसका नतीजा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं जाना चाहता है और शहरी क्षेत्र में एक सब्जेक्ट के दस-दस टीचर उपलब्ध हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करूँगा कि इस ऑप्शन को हटाकर प्रतिनियुक्ति किया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 28 फरवरी, 2017 के लिये निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं :

श्री संजय सरावगी, स0वि0स0, श्री ललन पासवान, स0वि0स0, श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0, श्री अरूण कुमार सिन्हा, स0वि0स0 एवं श्री विजय कुमार सिन्हा, स0वि0स0 ।

आज सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अनुसार नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, राज्य की महादलित बेटी, पूर्व मंत्री की बेटी हैं, उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, यौन शोषण का मामला है, ब्रजेश पाण्डेय को गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

साथ-ही साथ, नियुक्ति घोटाले में मेवालाल चौधरी का एफ0आई0आर0 में नाम है, सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है और राज्य के जो आई0ए0एस0 अफसर हैं, पेपर-लीक कांड को लेकर सी0बी0आई0 जॉच की मॉग को लेकर आन्दोलन पर हैं जिससे राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है । सरकार सी0बी0आई0 जॉच से भाग रही है । राज्य में महादलित अपने-आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । आखिर ब्रजेश पाण्डेय, मेवालाल चौधरी की गिरफ्तारी सरकार क्यों नहीं कर रही है ? महोदय, हम सरकार से जानना चाहते हैं । राज्य में महादलित बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ब्रजेश पाण्डेय की गिरफ्तारी करने में सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, दोषियों को बचाने का काम कर रही है । सरकार पेपर-लीक कांड की सी0बी0आई0 जॉच कराने से भागने का काम कर रही है । महादलित बेटी का मामला है, कांग्रेस के नेता ब्रजेश पाण्डेय जो उपाध्यक्ष हैं, उनका मामला है ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री ललन पासवान सदन के वेल में आ गये ।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ललन पासवान जी, गम्भीर मामला को अगम्भीर तरीके से क्यों उठा रहे हैं ?

(इस अवसर पर भा0ज0पा0 सहित रा0ज0ग0 के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये।)

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, महादलित बेटी का मामला है । महादलित की बेटी के साथ कांग्रेस के नेता उपाध्यक्ष जो हैं, ब्रजेश पाण्डेय हैं, उनके द्वारा यौन शोषण किया गया है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है । हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार राज्य में सत्ता संरक्षित अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रही है..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-25(4) के तहत बिहार राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, राज्यपाल के अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद कल दिनांक 27 फरवरी, 2017 से जारी है और आज 2 घंटे का समय उपलब्ध है और उसमें सरकार का विस्तार से उत्तर भी होना है । इसलिए मेरा शुरू में ही आग्रह होगा कि जो भी माननीय सदस्य बोलें, वे 5 से 7 मिनट की सीमा में रहेंगे क्योंकि हमने देखा है कि 8-9 माननीय सदस्यों को बोलना है और सब लोगों को 60 मिनट में ही सामंजित करना है । इसी परिप्रेक्ष्य में शुरू में ही मेरा निवेदन होगा कि सभी माननीय सदस्य अपनी समय सीमा का ख्याल रखेंगे ।

माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन ।

श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जो बिहार सरकार की रूप-रेखा को सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के नजरिये को रखते हुए सभी लोगों से, सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों को एक साथ विकास करने का नजरिया रखती है । बिहार देश के अग्रणी और विकसित राज्यों के श्रेणी में आये, इसके लिए मूलभूत सुविधा जो बिजली है, शौचालय है, पानी है, इसके साथ-साथ तमाम आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक योजनावद्ध तरीके से काम कर रही है । साथ ही जो नौजवान उसके रोजगार के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर योजना बनाकर काम कर रही है । मुख्य रूप से जो राज्यपाल का अभिभाषण में बात आयी कि कई दशकों से, 70 वर्षों से विभिन्न सरकारें केन्द्र में और राज्य में बनी लेकिन जनता की जो मूलभूत समस्यायें हैं, उसका निराकरण नहीं हो सका । इसीलिए महागठबंधन की सरकार बनने से पहले उन मुख्य समस्याओं को जनता के बीच रखकर 7 निश्चय का वादा कर जनता ने अपार मैनडेड से जीताया और सरकार लगातार उस 7 निश्चय पर काम करने के लिए आगे बढ़ी है और इस बजट में भी और राज्यपाल के अभिभाषण में भी उसका विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ है । पेयजल जैसी समस्या जो आधी आबादी अशुद्ध पेयजल

पी रही है, उनको कई तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है । उसके लिए प्रत्येक घर को नल का जल देना, बिजली आज 70 साल के बाद भी देश की आधी आबादी जहां विद्युत नहीं पहुँचा है, घर में कनेक्शन नहीं पहुँचा है, उसको टारगेट करते हुए अपने 5 साल के कार्यकाल में एक भी घर, एक भी बसावट बिजली से वंचित नहीं हो, उस दिशा में भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है । विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और जो सरकार का अभी शराबबंदी का घोषणा हुआ , निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक कदम है । बिहार की जो परम्परा रही है कि कभी भी ऐसी विपत्ति या विशेष परिस्थिति या सामाजिक बुराई आयी है, उसका मुकाबला बिहार ने शुरू से किया है । चाहे आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ने की हो, उसकी शुरूआत बिहार से हुई । चाहे जे0पी0 का अन्दोलन लीजिए, वह बिहार से शुरू हुआ । वर्तमान केन्द्र सरकार जब निरंकुश हुई तो उसको भी सबक सिखाने का काम बिहार से शुरू हुआ । सामाजिक बुराई जो शराब है, जो पूरे देश और दुनिया के लिए बुराई है, उसको समाप्त करने की लड़ाई बिहार से शुरू की गई, ये तमाम क्षेत्रों में काम हो रहा है । स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कई मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार ने घोषणा की है, उसमें काम हो रहा है । आम जनता को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, उस दिशा में काम हो रहा है । तमाम मेडिकल कॉलेज में सी0टी0स्कैन, एम0आर0आई0 इस तरह की व्यवस्था की जा रही है । शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर अध्यक्ष महोदय काम हो रहा है, तीन यूनिवर्सिटी बनाने की सरकार ने घोषणा की है । उन तीनों यूनिवर्सिटी को पाटलीपुत्रा में, मुँगेर में इस तरह से तीन यूनिवर्सिटी खोले जायेंगे । प्रत्येक पंचायत में उच्च विद्याालय देने की दिशा में काम हो रहा है, इस तरह से 2000 से अधिक पंचायतों में उच्च विद्यालय दिये गये और जो प्राथमिक विद्याालय 2000 से अधिक को मध्य विद्यालय बनाया गया । इस तरह से बड़े पैमाने पर काम हो रहा है । महिलायें, बच्चे आज बड़े पैमाने पर विद्यालय के लिए आये हैं । आज 6 से 14 उम्र के मात्र 1 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो विद्यालय से दूर हैं और इसका एक बहुत व्यापक असर पड़ा है । इसलिए बजट में भी हम देखते हैं कि शिक्षा विभाग का बजट बहुत बड़े पैमाने पर दिया जाता है कि क्योंकि सरकार का मानना है कि शिक्षा के वगैर किसी भी राज्य का विकास नहीं किया जा सकता है । इसीलिए अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा भी जिस तरह से बहुत बड़े-बड़े पुलों को बनाने का निर्णय लिया गया है । गंगा नदी पर पुल बनाया गया है, बख्तियारपुर में बनाया गया है । उसी तरह से हम देखें है कि कच्चीदरगाह से बिदुपुर के लिए वृहत पुल बनाने का निर्णय लिया गया है । उसी तरह से आरा, छपरा में लिया गया है, गोपालगंज में लिया गया है। सोन नदी पर नासरीगंज में पुल बनाने का निर्णय लिया गया है । पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो एलीवेटेड कोरीडोर दीघा में बनाने का, एम्स तक बनाने का मामला है, वह

बहुत तेज गति से चल रहा है । इस तरह चारों तरफ विकास का काम बहुत तेजी से चल रहा है । महिला सशक्तिकरण के दिशा में हमने देखा है कि जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था कर महिलाओं में जागृति, एक क्राति लाया गया है, दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देकर निश्चित रूप से यह अद्वितीय काम किया गया है । परन्तु फिर भी उसके बावजूद विकास की गति कहीं कुछ बाधा पहुँचती है, जैसे हमारे विपक्ष के नेता भी कल बता रहे थे कि राशि कुछ कम खर्च हुई है । निश्चित रूप से राशि जिस रफ्तार से खर्च होनी चाहिए, उसकी गति धीमी है । लेकिन दूसरी तरफ केन्द्र से जो स्वीकृत राशि है, उस पैसा को भी नहीं दे पा रही है । आज 11 महीना पूरा होने को है । केन्द्र के पास राज्य सरकार की जो राशि स्वीकृत थी, वह लगभग 28777 करोड़ रू0 थी, आज तक 11 महीने में मात्र 14000 करोड़ रू0 दे पायी है । कई विभागों में जो 20 से 25 प्रतिशत पैसा दिया गया है । गैर-योजना मद का 15500 करोड़ रू0 की राशि स्वीकृत थी, उसमें भी 2000 करोड़ रू0 दिया गया है । इस तरह से विकास तो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। हम जानते हैं कि बिहार जो नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि पूरे देश में कुछ राज्य हैं, जो अच्छा परफोरमेंस कर रहा है, उसमें नम्बर-1 राज्य है, जो तेज गति से विकास कर रहा है अपने संसाधनों से, उसके बारे में नीति आयोग का कहना है कि बिहार उसमें नम्बर-1 है । इसको बरकरार रखने के लिए, बिहार के विकास के गति को बरकरार रखने के लिए निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था । तमाम राजनीतिक दल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, आज बिहार की जनता ने केन्द्र में अपनी सरकार बनवायी, उसके बावजूद वह सरकार नहीं सुन रही है । यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था लेकिन उस दिशा में भी कोई पहल नहीं हो रहा है । सवा लाख करोड़ रू0 की घोषणा की गई थी कि हम बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, लेकिन उस दिशा में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पायी है । इस तरह से हम चाहेंगे कि बिहार के विकास के लिए सभी दल को चाहिए कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से उठकर के बिहार के विकास में साथ निभाये । हम खासतौर से कहेंगे कि हमारे कल प्रतिपक्ष के नेता लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष रूप से बोल रहे थे । हम यह बताना चाहते हैं कि किसी राज्य के बारे में विधि-व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं तो पूरे देश की स्थिति पर नजर डालिए । जितने भी भाजपा शासित राज्य है, उसमें तमाम अपराधों की संख्या का डाटा लीजिए, उसमें 22वां स्थान, 2015 का जो डाटा भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है, यह हम नहीं कहते हैं । वह कहता है 2014 में, 2015 में भाजपा शासित तमाम राज्यों में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार किसी भी मामले में बिहार में कम अपराध हुए हैं । आप पटना का अपराध देखिये, पटना राजधानी है । भाजपा शासित राज्यों का है । हमारे पास पूरा एन0सी0आर0, भारत सरकार का डाटा है।

वह बताता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा अपराध है, जहां भाजपा के कंट्रोल में है । आपके भोपाल मध्यप्रदेश में बहुत ज्यादा अपराध हुये हैं, आपका नागपुर में जहां आर0एस0एस0 की राजधानी है, वहां ज्यादा अपराध है । पटना में महिला के सुरक्षा के दृष्टिकोण से, बच्चों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि महिलायें ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : शाहीन जी, आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर लीजिए । ये लोग टोक रहे हैं, उसमें आप फंसिए मत ।

श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से बिहार की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है । बिहार में जिस तरह का ये लोग अफवाह उड़ा रहे है, इससे हमारे यहां जो टूरिस्ट आते हैं, वे बाधित हो रहे हैं, उन्हें डर समा रहा है । यहां जो उद्योगपति आते, उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं । ये लोग बिहार के विरूद्ध काम कर रहे हैं । ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं । ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं । अभी हमने टॉपर घोटाला का मामला देखा । मिडिया के जरिये आया कि बिहार में रिजल्ट आया है, उसमें कुछ बच्चे-बच्चियां टॉप की है । मिडिया के लोग जाते हैं, इन्टरव्यू लेते हैं । इन्टरव्यू में लगता है कि वह बच्चा टॉप होने लायक नहीं है। सरकार इतनी संवेदनशील है कि उसकी जॉच सरकार करवा देती है और उसपर कार्रवाई होती है । इससे साबित होता है कि हमारे यहां कोई भी भ्रष्टाचार का मामला जो मिडिया के माध्यम से भी आता है तो सरकार उसपर पूरे संवदेनशीला के साथ कार्रवाई करती है। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं । ये लोग भ्रष्टाचार जाकर मध्यप्रदेश में देखें, जहां व्यापम घोटाले में 50 से अधिक गवाहों को मार दिया जाता है और वहां कुछ भी बोला जाता है । अभी हममलोगों ने देखा कि इनकमटैक्स का छापा पड़ता है सर, सहारा में छापा पड़ता है, बिरला के यहां छापा पड़ता है, उसमें जो कन्फीडेन्सियल डायरी है, उसमें लिखा जाता है कि गुजरात को इतना पैसा दिया ।

टर्न-9/शंभु/28.02.17

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया किसी नेता का जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं और प्रधानमंत्री हैं इस तरीके से यह बात नहीं जायेगी प्रोसीडिंग में।

(व्यवधान)

अब आप एक मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : इसीलिए मैं कहूंगा कि बिहार की छवि को बदनाम नहीं करना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार

विकास के पथ पर अग्रसर है। हम तमाम लोग मिलकर बिहार को सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनायेंगे। इन्हीं चन्द बातों के साथ आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

अध्यक्ष : श्री उमेश सिंह कुशवाहा, आप 7-8 मिनट में समाप्त कीजिएगा।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद और वाद-विवाद पर बोलने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं पार्टी के माननीय नेता तथा आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी द्वारा जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव उनके द्वारा रखा गया उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार जो विकास कर रही है वह काबिले तारीफ है। न्याय के साथ बिहार का विकास और सात निश्चय तो बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही है। मैं सरकार की कुछ उपब्धियों पर बहुत कम समय में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बुनियादी सुविधा, पेयजल, शौचालय, बिजली ऐसे तो सरकार की उपलब्धि आकाश में सीढ़ी लगाने का काम कर रही है, लेकिन मैं मानव संसाधन जो विद्यालय खोलने की बात है- प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में, मध्य विद्यालय को हाईस्कूल में, हाईस्कूल को इंटर में शिक्षकों की उपस्थिति, उपलब्धता और उपस्थिति सुनिश्चित कराने में, कक्षाओं की संख्या बढ़ाने में खासकर हमारी सरकार की जो शिक्षा में, जो पोशाक और साइकिल योजना है, काफी लोकप्रिय है।

(इस अवसर पर माननीय सभापति,श्री मो0 इलियास हुसैन ने आसन ग्रहण किया)

कृषि रोड मैप के द्वारा जो किसानों को सुविधा, जो माली हालत थी उसके लिए जो हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा उनका आँसू पोछने का काम कर रही है। पहले कहा जाता था कुर्ता फटाफटी उनके धरती की भगवान की, आधा पेट उन्हें भोजन मिलता सुबह शाम की, यह हालत है भारत के किसान की। यानी हमारी सरकार ने जो 90 प्रतिशत आबादी किसानों की है, जो गांव में रहते हैं और गांव के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सात निश्चय लिया है। सात निश्चय से मुख्यमंत्री जी का जग में बढ़ा है शान, नीतीश कुमार जी को याद करेगा सारा हिन्दुस्तान। आज सात निश्चय की, विकास की लहर दौड़ रही है। जिस प्रकार प्रकाश महोत्सव में बिहार का नाम रौशन हुआ देश दुनिया में, मुख्यमंत्री जी तो यहां हैं नहीं, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से उन्हें आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जिस प्रकार नशाबन्दी के समर्थन में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला कायम हुआ। उसी प्रकार आपका सात निश्चय है जो आपने सूबे के विकास के लिए, सूबे के जन कल्याण के लिए, दीन दुखियों के सम्मान के

लिए कल्याण के लिए जो योजना चलायी है यह निश्चित रूप से जनता का भरोसा और विश्वास है यह पूरा निश्चित रूप से सफल होगा। मैं यह कहना चाहता हूं और खासकर मैं यहां विपक्षी सदस्यों से कि विकास के माध्यम में विकास में आप सहयोग कीजिए जिस प्रकार आप अपने बच्चे की पढ़ाई की बात करते हैं तो यह नहीं देखते हैं कि पढ़ानेवाला शिक्षक किस जाति का है, किस धर्म का है, देखते हैं तो सिर्फ शिक्षक की योग्यता और उसके गुण को देखते हैं। जब आप डाक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो यह नहीं देखते हैं कि डाक्टर किस जाति का है, किस धर्म का है, देखते हैं तो डाक्टर की योग्यता और उसके अनुभव को देखते हैं कि बच्चे उससे स्वस्थ होते हैं कि नहीं। ठीक उसी प्रकार नेता के विजन को देखना चाहिए, चाहे किसी पार्टी में हो- धन्य है यहां की धरती और धन्य हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, धन्य है यहां की जनता कि श्री नीतीश कुमार जी जैसा मुख्यमंत्री हमलोगों को मिला और उनके नेतृत्व में काम करने का मौका हमलोगों को मिल रहा है।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सात निश्चय से बिहार का होगा जन कल्याण और नशा शराबबन्दी से बिहार का नकल करेगा सारा हिन्दुस्तान। जय हिन्द।

सभापति(श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री अव्री मुनी ऊर्फ शक्ति सिंह यादव। सात मिनट।

श्री अव्री मुनी ऊर्फ शक्ति सिंह यादव : महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के पक्ष में और माननीय श्याम रजक जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में मैं सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आपने जो मौका दिया आपके प्रति भी मैं कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण सदन के अंदर प्रस्तुत किये गये। बिहार के समावेशी विकास की रूपरेखा पूरी तरह से उसमें साफ साफ परिलक्षित है, साफ साफ दिखता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में विकास की जो बहुआयामी रूपरेखा उसमें जो रेखांकित की गयी है और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के कुशल प्रबंधन साफ-साफ इसमें दिख रहा है। राज्य के विकास में हर क्षेत्रों में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो, मानव विकास मिशन से लेकर कृषि रोड मैप सभी चीजों की इसमें पूरी-पूरी इंतजामात किये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, आजाद हिन्दुस्तान में हमने जहां तक देखा, जहां तक हमने पढ़ा और जिस रूप में मैंने देखा है कोई भी राज्य सरकार इस देश के अंदर में बहुआयामी विकास की रूपरेखा सात निश्चय के रूप में जिस तरह से सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान किया गया है, जिसमें न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है, सभी लोगों का ख्याल करते हुए.....क्रमशः।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : क्रमशः महागठबन्धन की सरकार ने जो निर्णय लिया है राज्य के विकास के लिए आज इसका अनुसरण और इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा हर जगह हो रही है । आप जानते हैं कि सात निश्चय सिर्फ निश्चय नहीं है, ये सात धर्म है, सात संकल्प हैं, इस राज्य की जनता की विकास के लिए....

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, शारीरिक अनुपात में आवाज भी आपकी बुलन्द होनी चाहिये ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : भौल्यूम महोदय, भॉल्यूम जितना काम करेगा उसी अनुपात में काम करेगा । सभापति महोदय, हमने इसलिए कहा देश और दुनिया में बिहार के सरकार के द्वारा महागठबन्धन की सरकार के द्वारा विकास की जो रेखायें खींची गई है, उसको देख करके यह लग सकता है कि सरकारें बहुत आई इस राज्य के अन्दर में और कई सरकार काम भी किया लेकिन महागठबन्धन की सरकार ने जो सात निश्चय जिसके बारे हमारे प्रतिपक्ष साथियों द्वारा कई तरह के कई सवाल खड़े किये गये लेकिन पूरे दावे के साथ राज्य के अन्दर एक साल के अन्दर सातों निश्चय को जिस तरह से धरातल पर उतारने का पूरी पूरी कार्रवाई की गई हैं इंतजामात किया गया है उससे इनकार बाहर के लोग भी नहीं करते, सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं । गांव का वातावरण शहर जैसा दिखे, आधारभूत संरचना मजबूत हो गांवों का, गांव के लोग विकसित कैसे हों, कैसे हम बराबरी करें, शहर के बराबरी हम कैसे करें, हम कैसे दिखे उनके बराबर, उसकी पूरी-पूरी इसमें इंतजामात हैं । सिर्फ पेयजल की बात नहीं, सिर्फ नली, गली की चर्चा नहीं, इसमें कई ऐसे योजनाओं का कार्य इसमें खींचे गये, जिसको गंभीरता से अगर आप देखेंगे इसमें स्पष्ट होता हैं, हम जो हैं, अभी चर्चा हम देख रहे थे प्रश्न काल के दौरान, प्रतिपक्ष के साथियों कह रहे थे बी.पी.एल. के परिवार को नहीं मिलता है, बुजुर्गो को नहीं मिलता है, इनको जानकारी होनी चाहिए महागठबन्धन की सरकार, इस सरकार ने पहले ही पिछली सरकार से लेकर के अभी की सरकार ने पहले एक करोड़ 42 लाख से ज्यादा बी.पी.एल. की परविार की सूची भारत सरकार के पास भेजी थी, लेकिन भारत की सरकार ने मानने से इनकार किया, अगर वह मान लेती, आज भारत की सरकार मान लिये होती तो आज सदन के अन्दर में सवाल नहीं आता । हमारे बहुत सारे ऐसे चीजें, हमारे राज्य के अन्दर जी.डी.पी. की चर्चा कर रहे हैं प्रतिपक्ष के साथी, लेकिन जी.डी.पी. में जो कम ग्रोथ रेट की बात कह करके गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य पर जो वित्तीय भार अधिक है, आप देंख रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क से लेकर जितने भी केन्द्रांश थे, उनमें

कटौती करके राज्यांश में बहुत वृद्धि की गई, राज्य के वित्तीय प्रबन्धन पर कहीं न कहीं प्रतिकूल असर पड़े हैं लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधन पर राज्य को विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने मे कभी पीछे नहीं रहा हैं, आगे बढ़ाने का काम किया हैं, यह इस बात का परिचायक हैं हमारा समावेशी विकास इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम समाजिक सौहार्द करना चाहते हैं। सामाजिक सौहार्द का काम करना चाहते हें, सामाजिक रूप से सब को प्रतिष्ठा, सबको सम्मान, सबकों इजजत सबका को ख्याल करके यह सरकार आगे बढ़ना चाहती है। आपका सकारात्मक सहयोग राज्य के विकास में निश्चित तौर पर एक वरदान का काम करेगा, लेकिन माननीय प्रतिपक्ष के साथी ही कई सवालों पर कैसे अनर्गल सवाल करते हैं, कई सवाल आये इस राज्य के अन्दर में प्रबन्धन को लेकर के, कई सवाल आये आयोजन के सवाल पर, लेकिन राज्य की सरकार ने चाहे प्रकाश पर्व का सवाल हो, देंखें महागठबन्धन के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में इतना बड़ा आयोजन हुआ, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई, लेकिन इसको कहीं न कहीं कलंकित करने की कोशिश करते रहे । हम इन चीजों पर प्रकाश नहीं डालना चाहते हैं लेकिन राज्य के अन्दर कोई एसी घटना, इस राज्य के अन्दर घटती हो जो कि राज्य के सरकार किसी को बचाने का काम किया हो । महागठबन्धन की सरकार एक भी घटना पर किसी भी परिस्थिति में , किसी भी हाल में, किसी भी सूरतेहाल में, किसी भी हाल में दोषियों को बकसने का काम नहीं किया है चाहे वह बाहर का रहने वाला हो या भीतर का रहने वाला हो ।

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन) : कृपया एक मिनट, माननीय सदस्य, एक मिनट रह गया है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : एक मिनट में रोक देंगे महोदय । मैं समय सीमा के अन्दर ही अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा । चूंकि सवाल, विषय बड़ा हैं इस पर लम्बी तकरीर की जा सकती, लेकिन हम संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहते हैं। प्रतिपक्ष के साथियों से मैं कहना चाहता हूॅ कि आप बताये कि अभी हाल के दिनों में पेपर लीक के सवाल पर चर्चा कर रहें हैं, मै यह नहीं कहना चाहता, मैं किसी का उदाहरण नहीं देना चाहता कि क्या हुआ आपके मुम्बई में, क्या हुआ महाराष्ट्र में, मैं उसको कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूॅ कि किसी के बयान से किसी के आरोप प्रत्यारोप से कानून प्रभावित नहीं होता, जो एस0आई0टी0 का काम हैं, जो एस0आई0टी0 गठित हैं, जो भी इसके अन्दर आयेगा उस पर कार्रवाई होगी, कोई भी नहीं बचेगा चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो । सरकार समदर्शित भाव से सब का ख्याल करती हैं, कानून का राज्य स्थापित है, चाहे सदन के सदस्य पर किसी प्रकार के आरोप लगे हों या सदन के बाहर रहने

वाले लोगों पर आरोप लगे हो, सरकार ने किसी के साथ भेद भाव नहीं किया हैं । हम हर क्षेत्र में चाहे कानून का राज्य का सवाल हो, चाहे विकास का सवाल हो या सामाजिक सौहार्द का सवाल हो, कभी भी इसको हम टूटने देने का काम नहीं किया, महागठबन्धन की सरकार ने नहीं किया ।

आप देखेंगे सड़क के क्षेत्र में छः घंटे का मानक तय की गई थी राजधानी से जोड़ेने का लेकिन हमारे युवा मंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के कुशल नेतृत्व में इस छः घंटे की अवधि को पांच घंटा का लक्ष्य निर्धारित किया है, चारो तरफ विभाग, पथ निर्माण विभाग एक कदम नहीं, पांच कदम आगे बढ़कर के राज्य के विकास में एक लम्बी छलांग लगाने का काम किया हैं, आज उसी का नतीजा हैं कि आज युवा मंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के युवा लोग इनके काम को देख कर इन्हें 'आईडियल ऑफ यूथ' के रूप में स्वीकार कर रहें हैं, इस रूप में इनकी पोपुलरिटी हो रही है । माननीय प्रतिपक्ष के साथियों..

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन) : शांति, शांति । अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करिये ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ।

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन) : मैं एक मिनट पहले ही बोल चुका हूॅ ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूॅ

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन) : आप आसन को ओभरलुक कर रहे हैं !

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, आदरणीय प्रतिपक्ष के साथियों से सिर्फ यही कहना चाहता हूॅ कि राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए, सवाल उठाना चाहिये लेकिन जब राज्य का हित हो, विकास का हित हो तो सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए ।

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में सरकार की ओर से जो वक्तव्य दिया है और उसके पक्ष में सरकार की ओर से माननीय श्याम रजक जी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया हैं उसके विपक्ष में मैं कुछ बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय सभापति महोदय, मैं देख रहा हूॅ कि यह सदन शराबबंदी को लेकर के बहुत ज्यादा ही पीठ थपथपा रहा है, लेकिन इस सदन में कुछ ऐसे बिन्दु रखना चाहता हूॅ ...

सभापति (श्री मो. इलियास हुसैन) : शराबबंदी से आपको एतराज है क्या ?

श्री मिथिलेश तिवारी : नहीं शरबबंदी बहुत अच्छा हैं, सभापति महोदय, मुझे एतराज उस विषय पर है जो 13 अगत, 2016 को गोपालगंज में शांति समिति की मिटींग में मैं खुद था, वहां के जो माननीय सदस्य थे वे भी थे, डी.एम. और एस.पी. के साामने यह कहा

था कि खुजरबन्नी में शराब बिक रही है, डी.एम. एस.पी. ने ध्यान नहीं दिया और 15-16 तारीख को जहरीली शराब के कारण 21 लोगों की मौत हो गई, उसकी जिम्मेवारी भी सरकार को लेनी पड़ी और महोदय, इस सरकार ने कहा था कि जहां भी ऐसी घटना होगी, उसके जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी, इस सरकार ने चौकीदारों पर कार्रवाई की, इस सरकार ने सिपाहियों पर कार्रवाई की और उसके लिए जिम्मेवार जो एस.पी. और डी.एम. थे, वहां के एस.डी.ओ. और डी.एस.पी. थे उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । इसका मतलब है कि यह सरकार प्रशासनिक अधिकारियों से शराब बेचवाने का काम कर रहीं है, जो गांव गांव में बिक रहे हैं । महोदय, मैं आपको एक विषय के बारे में आपके माध्यम से सदन को बतलाना चाहूंगा । पिछले 31 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सारण कमीश्नरी के सारे विधायकों की मिटिंग हो रही थी, वहां कोई भाजपा के सदस्यों ने आरोप नहीं लगाये, वहां तो महागठबन्धन के माननीय विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने कहा कि आपके डी.एम. और एस.पी. और आपके थाने, थाने के दारोगा जो हैं वे शराब बिकवा रहे हैं लेकिन आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई । सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन से जानना चाहते हैं कि आखिर शराब की किस प्रकार की शराबबंदी हो रही है जो पहले शराब की दुकाने चलती थी उसको बंद कर दिया गया और सरकार ने ऑफिशियल शराब दुकाने खोल दीं और अब होम डिलवरी होने लगा, लोग मर रहे हैं और अभी अभी 24 फरवरी, 2017 को उचका गांव में जो वहां का चौकीदार था ... क्रमशः

टर्न-11:ज्योति

28-02-2017 क्रमशः

श्री मिथिलेश तिवारी : अभी अभी 24 फरवरी 2017 को उचका गांव में जो वहॉ का चौकीदार है झगड़ू चौधरी शराब पीला रहा था और उसके शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी और पॉच लोगों का इलाज चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति की आंख चली गयी आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा ? यह सदन शराब बंदी पर पीठ थपथपा रहा है लेकिन अपनी कमियों को यह सरकार बोलने से भागती है इसलिए सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे और कह रहे थे कि जानकारी का अभाव है । वृद्धावस्था पेंशन के लिए बिहार सरकार ने भारत सरकार को बी.पी.एल. की सूची भेजी थी, मैं तो कहना चाहता हूँ कि इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन की योजना है, यह भारत सरकार के सहयोग से चलती है आखिर बिहार सरकार अपने राज्य मद से वैसे लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करती और आज जब सदन चल रहा था जब मैंने

यह विषय उठाया तो विभागीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया आखिर उनका क्या गुनाह था जिनका नाम उसमें नहीं जुड़ा उसके लिए सरकार कोई जवाब नहीं देती। सभापति महोदय, सबौर कृषि विश्वविद्यालय का मामला मैंने इसी सदन में उठाया था । सरकार ने उसपर कोई जवाब नहीं दिया और अन्ततोगत्वा यह मामला सामने आया और उसपर अब कानूनी कार्रवाई शुरु हो गयी है । लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ ....

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन): माननीय सदस्य मिथिलेश तिवारी जी कृपया समाप्त कीजिये।

श्री मिथिलेश तिवारी : बस दो मिनट में अगर मुख्यमंत्री जी सुशासन की सरकार चला रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को पेपर लीक का मामला, बी0एस0एस0सी0 का मामला सी0बी0आई0 को सौंप देना चाहिए ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, आप जो तोहमत लगा रहे हैं तो अच्छे कामों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिये यह भारतीय शिष्टाचार है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : दे रहे हैं अब वही लाईन बचा हुआ है । सभापति महोदय, जब इस देश में नोट बंदी लागू हुई और नोटबंदी का समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया तो जब मुख्यमंत्री जी ने नोटबंदी का समर्थन किया तो राबड़ी जी ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाय और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चली तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 'मैं मैके चली जाऊंगी तू देखते रहिओ' और उसके बाद फिर से जवाब आता है उप मुख्यमंत्री जी का और उन्होंने कहा नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : ठीक है, हो गया बहुत आपने आवाज लगायी । अब माननीय सदस्या श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : माननीय सभापति महोदय, आज मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के लिए खड़ी हुई हूँ । महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण केवल भाषण ही नहीं बल्कि यह राज्य में हो रहे विकास का एक दर्पण है । माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो विकास की रफ्त्तार बढ़ी है उसने आज इस राज्य को देश ही नहीं बल्कि विश्व के मान चित्र पर खड़ा किया है । पिछले 11 वर्षों से अधिक से माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी, दिन रात बिहार के विकास की ही बात सोचा करते हैं और यही कारण है कि सरकार ने शराब बंदी लागू की । शराब बंदी के लिए कोई जन आन्दोलन बिहार में नहीं हुआ था बल्कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष कुछ महिलाओं ने आवाज उठायी थी और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने इसे ग्रहण करते हुए शराबबंदी का ऐसा कानून लागू किया जो इस राज्य में नहीं इस देश में भी प्रथम है । शराब बंदी गुजरात में भी है परन्तु वहॉ शराब मिलना आम बात है । हमने न सिर्फ अपने राज्य में शराब बंदी की बल्कि राज्य के कर्मियों पदाधिकारियों के लिए भी शराब बंदी करते हुए उनको यह बंधन लगाया गया कि वे

अन्य राज्यों में भी यदि शराब का सेवन करेंगे तो उनपर कठोर कार्रवाई की जायेगी । आज यही कारण है कि राज्य में अपराध घटा है । शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है और जो गरीब मजदूर कारीगर, शराब पीकर अपने पत्नी एवं बच्चों को प्रताड़ित करते थे, उन्हें देय सुविधाओं से वंचित रखते थे वे आगे बढ़कर बच्चों को शिक्षा दिलाने और महिलाओं को सम्मान देने का काम आज वो कर रहे हैं । सभापति महोदय, यहाँ पहले एन0डी0ए0 की सरकार थी जिसके नेता हमारे मुख्यमंत्री जी थे । लेकिन जब भाजपा ने उपेक्षा करना शुरु किया देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना शुरु किया तो मुख्यमंत्री जी ने कठोर निर्णय लिया और अलग हो गए । उस समय भाजपा के लोग बहुत वाहवाही कर रहे थे कि भाजपा के वोट से मुख्यमंत्री बने हैं । हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी पुराने बने रास्ते पर चलना पसंद नहीं करते और नया रास्ता बनाते हैं भले ही अकेला चलना शुरु कर दें लेकिन लोग जुड़ते जाते हैं । 2014 लोक सभा चुनाव में देश को भ्रम में डाल कर भाजपा के लोगों ने वोट हासिल कर लिया । उसको अगले ही वर्ष 2015 में वह बचा नहीं सके । उनको समझ में आ जाना चाहिए था कि वोट आदमी के चाल, चरित्र और चेहरा से मिलता है । नारों एवं जुमलों से एकाध कोई भ्रमित हो सकता है । परन्तु स्थायी रुप से किसी भी व्यक्ति को भ्रमित नहीं किया जा सकता । मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय तेजस्वी जी, लालू जी भाजपा के 2014 के आंधी को रोकने के लिए संकल्प लिया और महागठबंधन का निर्णय लिया । 2015 में बिहार के गौरवशाली लोगों ने महागठबंधन की सरकार बनाकर इतिहास रचा और 2019 के आने वाले लोक सभा चुनाव में साम्प्रदायिक ताकतों को दिल्ली से भगाने में हम सफल होंगे । महागठबंधन की सरकार ने अपनी सभी 7 निश्चयों पर काम करना प्रारम्भ कर दिया है और उसी क्रम में महिलाओं को 35 प्रतिशत सरकारी नौकरी में आरक्षण, कौशल विकास एवं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित, पेयजल, शौचालय, गली नाली पक्कीकरण का काम प्रारम्भ किया है । सामाजिक न्याय की इस सरकार को गरीबों, शोषितों, वंचितों के दरवाजे तक विकास की जो रौशनी पहुंचायी उससे गरीबों के जीवन के स्तर में काफी फर्क पड़ा है । सभापति महोदय, बिहार की नयी पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त कराने हेतु सक्षम बनाने के लिए आर्थिक हल युवाओं को बल निश्चय के तहत समेकित कार्य योजना लागू की गयी । इसके तहत तीन योजनाओं तथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मुख्यमंत्री निश्चय, स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम गांधी जयंती 2 अक्तूबर 2016 को प्रारम्भ किया गया । सभापति महोदय, राज्य में 5 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, बेगुसराय, वैशाली, सीतामढ़ी, भोजपुर एवं मधुवनी जिले में चयन किया गया है । बिहार की जनता बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार किया गया है । आज राज्य के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एवं जिला अस्पताल

एक क्रियाशील स्वास्थ्य केन्द्र के रुप में कार्यरत है । सभापति महोदय, राज्य में मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सभी स्तर पर गर्भवती महिलाओं को प्रसव एवं प्रसव उपरान्त गुणवतापूर्ण स्वाथ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्या, कृपया समाप्त कीजिये । एक मिनट में ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : सभापति महोदय, आज इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आपने हमें मौका दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : धन्यवाद । माननीय सदस्य जनाब सत्यदेव राम । तीन मिनट में कृपया समाप्त करेंगे अपना भाषण ।

श्री सत्येदव राम : महोदय, समय है अभी । महोदय, माननीय सदस्य श्याम रजक जी के महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ और इस बात के लिए ध्यान रखा जाय कि हमलोग तो ऐसे हीं छोटी पार्टी के हैं, कम सदस्य हैं समय कम है लेकिन कोई बात करने का अवसर मिलना चाहिए । महोदय, आम नागरिक सरकार से क्या उम्मीद रखता है ? उसकी तो उम्मीद यही रहती है कि हमें मान सम्मान मिले । हमारी सुरक्षा हो । हमारा हक और अधिकार मिले । भौतिक, सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मिले, आर्थिक-राजनीतिक आजादी मिले और एक बेहतर जिन्दगी जी सके- सरकार से यही उम्मीद जनता रखती है लेकिन महोदय, आजादी के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं और बहुत ऊँची ऊँची बातें हमलोगों ने इस सदन में की है लेकिन महोदय, हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ ।

सभापति (श्री मो0 इलियास हुसैन) : माननीय सदस्य, क्या चाहते हैं कि सदन में नीची बात हो? ऊंची नहीं होगी तो क्या होगा ?

टर्न-12/विजय/28.02.17

श्री सत्यदेव राम: सभापति महोदय, मैं तो चाहता हूं कि बात भी उंची हो और काम भी उंची हो इसके लिए मैं बात करता हूं । महोदय, राज्य में दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं । सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनितिक स्वार्थ के लिए जरूर गरीबों की बात करता है लेकिन वह वोट के लिए सिर्फ महोदय, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय कि किस तरह की घटनाएं घट रही हैं । थोड़ा सा आप इस पर घ्यान देंगे ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): एक मिनट है आपका ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, टीका कुमारी की संस्थानिक हत्या हुई, कर दी गयी । अररिया के रहरिया में हमारी पार्टी के जिला के सचिव सत्य नारायण सिंह यादव, खेत मजदूर के नेता पार्षद कमलेश्वरी ऋषिदेव की हत्या कर दी गयी महोदय । महोदय सहरसा के

भाजपा संरक्षित सामंतों ने सानोराम वकील राम की हत्या कर दी । महोदय, दरभंगा के कटैया मुशहरी में भाजपा संरक्षित सामन्तों ने हमला कर जगमारा देवी की हत्या कर दी गयी । महोदय राज्य में उत्पीड़न की एक से एक बढ़कर घटनाएं घट रही हैं ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): कृपया समाप्त कीजिये । और मौके मिलेगें ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम: महोदय, थोड़ा सा घ्यान दिया जाय । महोदय यह गरीबों की बात है । दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा दो मिनट में । महोदय, जो महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने के आरोप में महादलितों के मुंह में भाजपा दबंगों ने पेशाब कर दिया है महोदय । मैं आपको बताना चाहता हूं यही नहीं बेगुसराय के चुटिया के पति सहित अनीता देवी की हत्या कर दी गयी । महोदय उनकी जीभ काट ली गयी इसलिए कि अनीता देवी गरीबों के सवाल पर बोलती थी बात करती थी, गरीबों के बसने के लिए जमीन के लिए लड़ती थी महोदय ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): कृपया समाप्त कीजिये, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, कोई सुधार नहीं हो रहा है इसलिए मैं कहना चाहता हूं ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): माननीय सदस्या, श्रीमती रंजू गीता । आपका दो मिनट का समय है । मैडम माफ करना समयाभाव है ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन) आप बैठ जाइये सत्यदेव बाबू बैठ जाइये हो गया ।

श्रीमती रंजू गीता: सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन कर आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आभारी हूं । माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकता विधि व्यवस्था को देखकर कानून का राज स्थापित करना और सबका साथ सबका विकास न्याय के साथ विकास करने का संकल्प का परिणाम है कि आज पूरे राज्य में सामाजिक सौहार्द और ...(व्यवधान)

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): बैठ जाइये सुनाई नहीं पड़ रहा है । सत्यदेव बाबू बैठ जाइये । कृपया शाति ।

श्रीमती रंजू गीता: महोदय, पूरे राज्य में पूरे देश के अंदर बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण का एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित होने का काम हुआ है । मैं आभार प्रकट करती हूं परम आदरणीय विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब के प्रति जिन्होंने राष्ट्रपिता बापू के सपने को सच्चे दिल से सच्चे सामाजिक चिंतक के रूप में बिहार की सरजमीन पर उतारने का काम किया । राष्ट्रपिता बापू का सपना था ग्राम स्वराज की स्थापना और दूसरा सपना उनका देश की आधी आबादी महिला को सशक्तिकरण करने का सपना । मैं बिहार की आधी आबादी महिलाओं की ओर से आभारी हूं अपने मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया । ये बातें सिर्फ पत्र पत्रिकाओं

में सिमट कर नहीं रहा महोदय । इसकी चर्चा हमारे देश के अन्य राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने का काम किया । हमारे देश के अन्य राज्यों के राजनितिज्ञों ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राजनीति करने वाले इस कार्य की सराहना ही नहीं बल्कि इसका अनुकरण करने का काम किया है ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें । किस तरह की कोलाहल हो रही है ।

श्रीमती रंजू गीता: महोदय, आज इतिहास गवाह है कि महिलाओं को सम्मान, महिलाओं की पूजा आज भी इस देश में होते आ रही है । चाहे वह ऋग वेद हो, साम वेद हो, वैदिक काल हो, दैविक काल हो उसमें महिलाओं की तीन रूपों में पूजा की गयी । पहले दूर्गा और उसकी शक्तियों का भी आकलन किया गया । दुर्गा यानी पावर शक्ति, लक्ष्मी कुबेर का खजाना यानी फिनांस और सरस्वती ज्ञान का भंडार यानी एजुकेशन । इन तीनों रूपों में आज भी महिलाओं की पूजा की जा रही है ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): आपका समय समाप्त मैडम ।

श्रीमती रंजू गीता: दो मिनट महोदय । प्लीज दो मिनट । मैं आभार प्रकट करती हूं कि महिलाओं के लिए जो पूरे बिहार में सहकारिता के क्षेत्र में कृषि साख समिति, कोआपरेटिव सोसाइटी में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण मिला । प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण, महिला बटालियन का गठन पुलिस सब इंस्पेक्टर, कंस्टेबल का गठन, महिला थाना का गठन, और बिहार के अन्य नौकरियों में भी नियुक्तिओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ।

सभापति(श्री मो. इलियास हुसैन): कृपया समाप्त करें । बहुत आपने बात कर दी ।

श्रीमती रंजू गीता): और तो और जीविका परियोजना के तरह पूरे राज्य में 10 लाख का टारगेट था जो 5 लाख 66 हजार गठन पूर्ण कर लिया गया है । मैं एक शब्द महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक जो अपने हांथों से जो लिखी हूं उसका कहना चाहती हूं सदन के बीच में । सात निश्चय का अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महागठबंधन की सरकार ने जो सात निश्चय किया इसके लिए मैं उनके तरफ से सदन में कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हौसले ने अभी हिचकी नहीं ली । अभी मेरे हौसले ने हिचकी नहीं ली । जहां आबाद है सेहरा वहां बस्ती बसाता हूं वहां बस्ती बसाते हैं । अर्थात बिहार की क्या स्थिति थी, जहां रेत ही रेत था सचमुच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कुशल नेतृत्व और क्षमता के कारण उन्होंने इस रेत भरी बिहार में बस्ती बसाने का काम किया । इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

मैं चाहती हूं अध्यक्ष महोदय इस सदन के माध्यम से और आपसे आग्रह करती हूं कि इस बजट सत्र में हम महिलाओं के लिए एक दिन अलग से सत्र बुलाकर और फिर से बिहार अपनी इतिहास रचने का काम करे क्योंकि 35 प्रतिशत आरक्षण नहीं मेरा विचार है, मेरा मानना है, मेरा सुझाव है, मेरा आग्रह है, विनती है कि आप जो 35 प्रतिशत आरक्षण एक तरफ की बात करते हैं और दूसरी तरफ 65 तो यह पुरूष और महिला का समानता नहीं । मैं चाहती हूं कि स्पेशल सत्र बुलाकर 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग दोनों सदनों से पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेजने का काम करें । इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: आप क्या चाहती हैं रंजू जी कि अलग से सत्र बुलाया जाय या इसी सत्र में एक दिन अलग कर दिया जाय ।

श्रीमती रंजू गीता: सत्र में एक दिन महिलाओं के लिए सिर्फ क्योंकि महिला दिवस भी आने वाला है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री राजू तिवारी । एक दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राजू तिवारी: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण वाद विवाद पर हमको बोलने का वक्त देने के लिए आपको धन्यवाद । मैं कल ही से सुन रहा हूं कानून का राज स्थापित होगा । महोदय कानून का राज तो महागठबंधन के विधायक ही माहौल उड़ा रहे हैं कि उनको न किसी सिपाही से डर लगता है न किसी पुलिस से न किसी को दारोगा से डर लगता है । तो जब महागठबंधन के विधायक को डर लगता है तो आम लोगों की क्या हालत होगी इसलिए कानून का जो प्रभाव है वह महागठबंधन के विधायक द्वारा दीख रहा है । रही बात 90 परसेंट लोग बोल रहे हैं कि अभी किसान की हालत है। किसानों की हालत मैं जीता जागता पश्चिमी चंपारण का उदाहरण दे रहा हूं। गन्ना के बीज पर हमारे यहां जिला में पूर्वी चंपारण में 2015-16 में गन्ना के बीज पर सरकार द्वारा अनुदान दिया गया था ।

क्रमश:...

टर्न-13/28.2.2017/बिपिन

श्री राजू तिवारी : क्रमश: मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को। 2015-16 में पश्चिम चम्पारण जिला के किसानों को उसका लाभ मिला परंतु 2015-16 में पूर्वी चम्पारण के किसानों को लाभ नहीं मिला । यही किसानों का यहां पर काम हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि जिला में मंत्री हैं, बिहार के मंत्री नहीं है गन्ना के । मैं आपका ध्यान किसानों की जो धान की खरीद है, धान के खरीद में जब सारे किसान

विचौलियों के माध्यम से बेच चुके थे, तब धान के खरीद पर सरकार का जोर हो रहा है । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि किसानों ...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए ।

श्री राजू तिवारी: सर एक मिनट । महोदय, किसानों की जो धान की खरीद होती है वह तुरत, जब धान कटने लगे, तभी किसानों से धान खरीदा जाए ।

अब रही शिक्षा व्यवस्था पर । शिक्षा व्यवस्था पर प्लस-टू में मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम मोतिहारी जिला में हुआ था । मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि प्लस-टू में उत्क्रमित हाई स्कूल में स्थिति बहुत भयावह है । बच्चों का नामांकन हो गया, पढ़ाने वाला कोई नहीं है । यह बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है सरकार के द्वारा । मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए थे । उस समय बोले थे कि 60 से 65 करके तुरत उन बच्चों को शिक्षा दिलवाया जाए । मजबूर हैं बच्चे । सिर्फ ऐडमिशन लिए हैं । बाहर किसी तरह पढ़कर वह पास होने को बाध्य हैं । कैसे पढ़ाई होगी ? भगवान जाने। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि पढ़ाई पर, जो उत्क्रमित हाई स्कूल का है, उसमें शिक्षकों का तुरत व्यवस्था किया जाए ।

अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद । श्री ललन पासवान । दो मिनट में ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी हमने आपके माध्यम से सरकार से आग्रह किया था । मेरे यहां चार ब्लॉक है और चार ब्लॉक में जितने गांव हैं पहाड़ के सटे हुए और पहाड़ के उपर, वहां आज तक पीने का पानी नहीं है । सरकार विकास कर रही है। बिजली का पोल नहीं देखा है, सड़क नहीं है । सरकार दुहाई दे रही है । न पोल देखा, न बिजली देखा, न सड़क देखा, न स्वास्थ्य देखा । फिर भी सरकार दुहाई दे रही है, विकास कर रही है । पहला सवाल कि पीने का पानी मैं चाहता हूं सदन के माध्यम से । दूसरा सवाल है अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति की राशि का घोटाला राज्य में तीन वर्षों का बड़ा घोटाला है । इसकी सी.बी.आई जांच होनी चाहिए । सरकार ने क्रेडिट कोर्ड एलाऊ किया है । अच्छी बात है । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । बिहार के पहला क्लास से 10 प्लस-टू तक छात्रवृत्ति मिलती थी । हमलोग भी उसी से पढ़कर आए हैं । छात्रवृत्ति घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है । इसकी जांच होनी चाहिए सी.बी. आई. से । दूसरा, पदोन्नत्ति में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमलोगों मिले थे । कहे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में ही हम, ललन पासवान जी, जब ऑर्डर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब कोई इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है लेकिन पदोन्नत्ति में समाप्त आरक्षण के चलते हजारों अनुसूचित जाति-जनजाति के पदाधिकारी/ कर्मचारी आज डिमोशन कर दिए गए हैं । पुनः सरकार विचार करे, लागू करे । तीसरा मांग हम आपसे करते हैं, दो मांग और है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : जल्दी जल्दी कह लीजिए ।

श्री ललन पासवान : जल्दी ही कर लेते हैं महोदय । कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बेटी के साथ कांग्रेस के लोगों ने ही उनके साथ बलात्कार किया । एफ0आई0आर0 हुआ, गलत संबंध किया और अभी तक प्रशासन न कोई गिरफ्तारी की, न कॉंग्रेस द्वारा कार्रवाई हुई । अध्यक्ष महोदय, यहां बैठे हुए हैं मंत्री । तीसरा सवाल अध्यक्ष महोदय, दुर्गावती जलाशय परियोजना...

अध्यक्ष : ठीक है । अब समाप्त करिए ।

श्री ललन पासवान : एकदम लास्टे है सर । माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे दुर्गावती जलाशय । गए थे वहां । बगल में मटियार भी बनने जा रहा है । जल्दी बन जाए इस बार भी लगता है कि अंतिम जो सीमा है कैमूर और रोहतास की, आज भी लगता है कि 15अप्रील तक पानी नहीं पहुंच पाएगा । सरकार का वायदा फेल हो रहा है । टेंडर कर दिया गया लेकिन फिर भी ...

अध्यक्ष : आप बढ़ाते जा रहे हैं ।

श्री ललन पासवान: नहीं बढ़ा नहीं रहे हैं महोदय । महोदय, कैमूर, रोहतास का 213 गांव, मैंने कहा कि चुवारियों की पानी पीता है । सरकार इसके लिए कोई विशेष, खासकर, मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस पर विचार करके.....

अध्यक्ष : ठीक है । धन्यवाद । श्री नेमातुल्लाह ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए । दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकारा जा चुका है ।

श्री नेमातुल्लाह जी, आपको पांच मिनट में अपनी बात कहनी है । तीन बजे सरकार का उत्तर होगा । आप पांच मिनट बाद स्वयं स्थान ग्रहण कर लेंगे ।

श्री मो0 नेमातुल्लाह: धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं ।

महोदय, गवर्नर साहब का जो ऐड्रेस है वह अपने आप में एक आईना है। बिहार सरकार का एक विजन है । महागठबंधन द्वारा एक सात निश्चय प्रोग्राम जो दिया गया है, उसी का वह एक, उसी रोशनी में उन्होंने जो तकरीर की, भाषण दिया, वह रूपरेखा है । महोदय, मुख्यमंत्री जिस तरह से सात निश्चय का अनुपालन करने के लिए सिरियस हैं और जिला में जाकर, कमिश्नरी में जाकर माननीय सदस्यों के साथ बैठक किया, वरिष्ठ आफिसरों के साथ बैठक किया कि कैसे उसको सरजमीन पर लागू किया जाए । चाहे वह सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबों को उस मिटिंग में उन्होंने बुलाया और कहा है कि सात निश्चय जो हमारा है, उसको सरजमीन पर पहुंचाना है । हम सब यहां जीत कर आए हैं । अपने-अपने हल्के के विकास के लिए ख्वाहिशमंद हैं । हम अपनी इच्छा रखते हैं कि कैसे हमारे हल्के की तरक्की हो, उस पर यह सात निश्चय एक बहुत बड़ा विजन है मुख्यमंत्री का, डिपुटी सी.एम. का,

महागठबंधन के इस सरकार का, अशोक चौधरी जी का । ये सारे लोग मिलजुल कर एक विजन बनाया कि इसको सरजमीन पर उतारा जाए । उसी में शराबबंदी का जिस तरह से किया गया, उसमें आपने भी समर्थन दिया, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी समर्थन दिया और आज क्या हो रहा है, समाज में शराबबंदी से क्राइम रेट घटा हुआ है, औरतें खुश हैं । घर में जो प्रताड़ना होती थी, उसमें कमी आई है, उसमें यह समाप्त हो गया है । इसीलिए यह देश ही में नहीं, विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है । आप गांव में घूमिएगा तो देखिएगा कि लोग किस तरह से खुश हैं । हर फील्ड में कामयाबी हो रही है । चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वह शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि अपना काम है जलाते चलो चिराग, रास्ता में दोस्त मिले या दुश्मन, आप भी हों या वो भी हों, कोई भी हों, वह रोशनी देते हैं । वह कामयाबी के लिए, विकास के लिए अपना विजन देते हैं । यह सरकार का बहुत बड़ा कामयाबी है । आपने इतना बड़ा पैकेज का एलान किया था । आपने, केन्द्र सरकार ने जीतने के बाद बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की बात कही थी लेकिन आपने कुछ नहीं दिया । कहा कि 10 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे, सवा सौ, हजार करोड़ देंगे लेकिन मिलने को क्या मिला ? जीरो मिला । मुख्यमंत्री अपने संसाधन से, अपने बलबूते पर महागठबंधन, अपने बलबूते पर जिस तरह ग्रोथ रेट बढ़ाया है बिहार का, वह सराहनीय काम है । महोदय, आप देखे होंगे, प्रधानमंत्री बोलने पर माहिर आदमी हैं । आपने कहा कि जितना बड़ा बोलो, विजन देखा, उतना बड़ा....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ....

(व्यवधान)

श्री मो0 नेमातुल्लाहः प्रधानमंत्री को भी विकास पर चर्चा करना चाहिए । विकास अगर बिहार का हो रहा है तो देश तरक्की करेगा । बिहार तरक्की करेगा ...

अध्यक्ष : नेमातुल्लाह जी, घड़ी देखिए ।

श्री मो0 नेमातुल्लाहः महोदय, लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है ...

अध्यक्ष : ठीक है आपका बन जाएगा ।

धन्यवाद । माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद पर अब सरकार का उत्तर होगा ।

माननीय मुख्यमंत्री ।

सरकार का उत्तर

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है, मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देता हूं । लोगों ने अनेक प्रश्न भी अपने भाषण के क्रम में उठाए हैं। ... क्रमशः

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री- (क्रमशः) कुछ बातें हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूंगा । लेकिन एक बुनियादी तौर पर जो बात बताई जाती है, इन दिनों यह प्रचार करने की कोशिश की जाती है कि राज्य सरकार का जो 7 निश्चय है, इसमें कृषि शामिल नहीं है तो फलां चीज शामिल नहीं है और सिर्फ 7 निश्चय की बात हो रही है, कृषि रोड मैप को लोग भूल गये, आदि आदि बहुत सारी बातें की जाती है । तो मैं इसको सदन के रेकर्ड पर इस बात को लाना चाहता हूं । यों तो हमने बारम्बार इन बातों की चर्चा की है और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इस बात की चर्चा रहती है लेकिन चूंकि इन बातों पर बार-बार एक गलत बात को प्रचारित करने की कोशिश हो रही है इसलिये मैं आपकी इजाजत से सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 में जो बात कही गयी है, सबसे पहले सुशासन के कार्यक्रम जो तय किये गये मंत्रिपरिषद् के द्वारा और जिस पर हमलोग अमल कर रहे हैं, उसमें 7 निश्चय भी है । मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं - "सरकार न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुये सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प अभिव्यक्त करती है । सरकार का मूल संकल्प राज्य का सर्वांगीण विकास है और विकास की इस यात्रा के क्रम में जो संकल्प पहले हमने लिये थे, उसे पूरा किया है । हमने हमेशा बिहार की तरक्की और उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिये काम किया है । हमारे कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन और औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश की जो नीतियां एवं कार्यक्रम हैं, वे मजबूती के साथ आगे भी जारी रहेंगी । शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और महादलित, दलित, अतिपिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के गरीब, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के विकास एवं कल्याण की अनेकों योजनायें जो सफलतापूर्वक चल रही हैं, इन सभी को और सुदृढ़ करते हुये क्रियान्वित करते रहेंगे । हमने बहुत कुछ हासिल किया है । किन्तु अभी भी बहुत करना बाकी है । प्रगति पथ के जिस माईल स्टोन पर आज हम हैं वहां से आगे बढ़ने के लिये चल रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ नये संकल्प लेने होंगे। हमने कुछ नये संकल्प लिये हैं, जिनकी प्राप्ति के लिये हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं । इस में से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार हैं : -

विकसित बिहार के लिये 7 निश्चय यानी यह सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 का अंश । अब यह बात बार-बार बाहर कह दी जाती है । असल दिक्कत यह है कि कुछ लोगों को रोज बयान देने की आदत है, मीडिया का स्पेस ऑकुपाई करना है । जो मन में आये, कुछ बोलना है । तो उसके चलते लोग प्रचारित करने की कोशिश करते हैं कि हम 7 निश्चय के अलावे किसी चीज पर नहीं हैं । उस दिन के लिये तो हुआ कि शराबबंदी को छोड़ करके कोई काम ही नहीं है । कई लोगों ने मुझ पर यह आरोप मढ़

दिया कि इनको शराबबंदी का नशा चढ़ गया है यानी किसी भी काम को पूरी प्रतिबद्धता के साथ करिये तो उसकी आलोचना करने में बड़ी प्रसन्नता की उनको अनुभूति होती है और होती होगी, लेकिन दरअसल अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं । जिन चीजों को व्यापक जनसमर्थन है और जिसका प्रभाव बहुत अच्छा है, उसका उपहास करना, मजाक उड़ाना इन सभी चीजों का असर आम जन पर बुरा पड़ता है । इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए लेकिन कुछ लोग आदत से लाचार हैं । उनको तो इससे कोई मतलब नहीं है । उनको मतलब है कि अखबार में छपा कि नहीं छपा । मेरा नाम छपा कि नहीं छपा । हमारा कुछ बयान छपा कि नहीं छपा । 24 x 7 मीडिया चल रहा है, लोकल मीडिया में आज हमारा दिया कि नहीं दिया । प्राईम टाईम में दिया कि नहीं दिया । इसी में व्यस्त रहते हैं, इसी में समय बीत जाता है । सत्ता से अलग होने के बाद कुछ काम नहीं बचा है, हो सकता है । लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह है कृषि रोड मैप । कृषि रोड मैप हमलोगों ने बनाया, 2008 से 2012 के लिये एक रोड मैप बना, जिसमें हमलोगों ने सीड रीप्लेसमेंट को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी और उसका परिणाम हुआ कि हमारे राज्य की उत्पादकता बढ़ी फसल की, धान की भी बढ़ी, गेहूं की भी बढ़ी, मक्का की भी बढ़ी । मुझे अब तक याद है तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में एक बैठक हो रही थी कृषि को लेकर और उस समय हमलोगों को बहुत दिन बीता नहीं था, यहां सरकार का काम संभालते हुये और वहां जो कृषि के विकास पर प्रजेंटेशन 7 आर0सी0आर0 में दिया जा रहा था, उसमें जो विशेषज्ञ थे, मेरी ओर ताक कर वे बता रहे थे कि प्रोडक्टीविटी के मामले में बिहार बहुत नीचे है और मैं मुस्कुरा रहा था । उनको यह पता नहीं था कि हमलोगों ने क्या इनिशियेटीव लिया है । तो कई बार मुझको ताक कर बोलते रहे । हमने कहा कि चलिये कुछ दिन तक ही है । आगे यह ठीक होनेवाला है। हमने अपनी बात के क्रम में कहा था, 2008 से 2012 वह हुआ और 2012 से 2017 के लिए फिर कृषि रोड मैप बनाया । उस पर अमल हो रहा है । 2017 से 2022 के लिये भी, 2012 से 2017 के बीच में जब तैयार हो रहा था, एक मोटे तौर पर एक रूपरेखा भी बनायी गयी है उसको विस्तृत रूप देने की तैयारी हो रही है । हम इसको कैसे भूल सकते हैं । हमारे बिहार की आबादी का 89 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और पूरे बिहार की जो आबादी है, उसका 76 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है । इसलिए हम कृषि को नहीं छोड़ सकते हैं । कृषि रोड मैप यह हमलोगों के दिमाग की उत्पत्ति है । इसको कहां हम बीच में छोड देंगे ? कुछ लोग बोलते है कि भूल गये । 7 निश्चय में नहीं है । 7 निश्चय में अलग है, जो हमने पढ़ दिया । प्रगति पथ के जिस माईल स्टोन पर हम आज है, उस माईल स्टोन पर कैसे हैं ? कृषि रोड मैप के कारण हैं । मानव विकास मिशन के कारण हैं । औद्योगिक विकास की जो नीतियां हैं,

उसके कारण हैं । शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, कल्याणकारी योजनायें जो चलीं, समाज के सभी तबकों के विकास के लिये जो काम किया गया और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़क में, पुल में इन सभी क्षेत्रों में जो काम हुये, स्कूल भवनों का जो निर्माण हुआ, कितना काम हुआ है ? उन सब कार्यों के बदौलत आज हम जिस माईल स्टोन पर हैं, वहां से आगे बढ़ने के लिये । अब कहीं पहुंच गये हैं तो क्या हम वहीं खडे रहेंगे या उससे आगे बढेंगे ? तो आगे बढ़ने के लिये चल रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त, जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वे चलते रहेंगे और मजबूती से लागू करते रहेंगे और कुछ नये संकल्प लेने होंगे । तो उन कामों को जारी रखते हुये हमारे नये संकल्प हैं, 7 निश्चय और ये 7 निश्चय का संकल्प है, हम हर घर में नल का जल पहुंचायेंगे, हर घर में शौचालय का निर्माण होगा, हर घर में बिजली का कनेक्शन मिलेगा, हर घर तक पक्की गली का निर्माण होगा और नाली का निर्माण होगा । इस सात निश्चय को, गांव हो या शहर हो, हर किसी को यह उपलब्ध कराना है, चार साल के अंदर इसको पूरा करने का संकल्प है । इस 4 निश्चय के अन्तर्गत - 1 निश्चय है हमलोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया और उस काम को आगे बढ़ाते हुये यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार की हर प्रकार की सेवाओं में महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायेंगे । हमलोगों की महागठबंधन की सरकार बनी और उसके दो महीने के अंदर इस निश्चय पर अमल भी कर दिया, पिछले साल जनवरी से यह लागू हो गया, महिलाओं के लिये सरकार के हर प्रकार की सेवाओं में 35 प्रतिशत का आरक्षण और उसके बाद जो 2 निश्चय हैं युवाओं से जुड़े हुये - स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना एवं स्वयं सहायता भत्ता । क्षमा कीजियेगा, बेरोजगारी भत्ता यह नहीं है । बहुत लोग बहुत तरह से इन्टरप्रेट करते हैं, यह बेरोजगारी भत्ता नहीं है और हमने वही लागू किया है । आप स्वतंत्र हैं । जब चुनाव हो रहा था 2015 का, हमने 218 रैली में भाषण किया है चुनाव के दौरान, आप किसी भी रैली में दिये गये भाषण को सुन लीजिये,उठा लीजिये और सब में 7 निश्चय की चर्चा है । स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर सबसे अधिक तालियां बजती थी । स्वयं सहायता भत्ता - 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के युवा, जो रोजगार की तलाश में होंगे, उनको दो वर्षों तक हजार रूपये महीने का स्वयं सहायता भत्ता दिया जायेगा । हमने बेरोजगारी भत्ता नहीं कहा है । हमने स्वयं सहायता भत्ता कहा है । **कुशल** युवा कार्यक्रम । हर किसी को, जो इच्छुक युवा है, उसको हिन्दी के साथ अंग्रेजी भी बोलना आ जाय, कम्प्यूटर का ज्ञान आ जाय । व्यवहार कौशल - किस प्रकार से हम व्यवहार करें । ये सब हमारे एक निश्चय के 5 अवयव है, उसके ये 3 अवयव हैं ।

क्रमश :

टर्न-15/राजेश/28.2.17

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, क्रमशः- फिर मुफ्त वाई-फाई की कनेक्टिविटी, यह तो फरवरी में हो जाता लागू, कार्यक्रम भी तय हो गया था सरकारी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए लेकिन इस बीच में चार जगहों पर जो विधान परिषद् का चुनाव हो रहा है, उसके चलते मोडल कोड लगा हुआ है, इसलिए कॉलेज में जो काम हो रहा था, वह मोडल कोड के कारण संभव नहीं था, इसलिए मॉर्च में होगा, मोडल कोड के खत्म होने के बाद लागू होगा, यह लागू हो गया, वेंचर कैपिटल फंड का गठन हो गया, नीति बन गयी और इस साल उसके लिए 50 करोड़ की राशि भी रिलिज कर दी गयी ताकि कोई भी उद्यमी, कर्मशील युवा अगर अपने पैरों पर खड़ा हो करके कोई उद्यम करना चाहता है, तो उसको वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से सहायता करेंगे, नीति बन गयी, लोगों के आवेदन आ रहे हैं, इक्यूवेंशन सेंटर पर जा रहे हैं, यह सारी बातें शुरु हो गयी और एक निश्चय और जो हमारे यहाँ इंस्टीच्यूशन की कमी थी, तो क्या तय हुआ, पॉच नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, हर जिले में पोलिटेकनिक खुलेगा, हर जिले में महिला आई0टी0आई0 खुलेगा, हर जिले में जी0एन0एम0 इंस्टीच्यूट खुलेगा, हर सबडिवीजन में आई0टी0आई0, हर सबडिवीजन में ए0एन0एम0 स्कूल सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में और जितने इंस्टीच्युशन खुल जाय, सरकार के क्षेत्र में और इतने दिन तक समीक्षा करके सब के लिए जमीन का आवंटन हो गया और इसके लिए आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी, तो यह हमारा सात निश्चय, हमारे युवा पढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, हमने पहले भी बताया कि हमारा हायर एडुकेशन में ग्रॉस इनरौलमेंट रेशिओ मात्र 13 प्रतिशत है, जो कम है, विकास के लिए इसको 30 से 40 प्रतिशत होना चाहिए, इसलिए हमने तय किया कि जो भी युवा इन्टर पास होंगे, 12वीं पास होंगे, अगर वे आगे पढ़ाई करना चाहेंगे, तो उन्हें चार लाख तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलाया जायेगा, उसके मूल धन की गारंटी, उसके उपर सूद की गारंटी सब राज्य सरकार ने दे दी है, यह स्कीम शुरु हो गयी, अब युवाओं को इसके लिए बताने के लिए जगह-जगह कैंप लगाये जा रहे थे, हमने कहा कि नहीं हमने जो डी0आर0सी0सी0 खोला है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन और कौंसिल सेंटर, जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र, उसमें बुलाइये युवाओं को और एक-एक बात समझाइये, सब लोग समझते हैं, पैन कार्ड बैंक को चाहिए, पैन कार्ड बनवाने की सुविधा भी वहीं, आधार कार्ड उसकी भी सुविधा वहीं और इसमें ऑन लाईन अप्लीकेशन देना है, तो जाइये वहीं से ऑन लाईन अप्लीकेशन दे दीजिये, ऑन लाईन अप्लीकेशन के लिए किसी को जाना पड़े कहीं और जगह पर, तो उसको लग जाता था साईबर कैफे में किसी को 100 रुपया, किसी को 50 रुपया पूछते थे, अब मुफ्त में वहीं से करेगा ऑन लाईन अप्लीकेशन, तो यह सारी सुविधा कर रहे हैं, इन सब चीजों को युवाओं के बीच में परिचारित कर रहे हैं, कुशल युवा कार्यक्रम लोग सीखेंगे, प्रशिक्षित होंगे, बेहतर रोजगार पायेंगे, तो जो

हमलोगों ने कहा है, हमलोग उसपर अमल करना प्रारंभ कर दिया है, काम शुरु हो गया है और यह टारगेट है, तो चार वर्षों में 7 निश्चय में जो चार निश्चय बताया आपको और इन सभी चीजों की समीक्षा और विकेंद्रित तरीके से यह सब हो रहा है, वार्ड विकास समिति का गठन किया गया है पंचायत समिति स्तर पर, उसके माध्यम से होगा, शहरों में भी इसी तरीके से विकेंद्रित तरीके से होगा, अगर नल का जल देना है, तो जहॉ पर गुणवत्ता प्रभावित इलाके हैं, उन पंचायतों में पी0एच0ई0डी0 के माध्यम से होगा और बाकी जगहों पर पंचायती राज के माध्यम से होगा, शहरों में नगर विकास के माध्यम से होगा, चाहे नगर पंचायत हो, नगर परिषद् हो, नगर निगम हो, उनकी भूमिका है, तो इस प्रकार से हर काम को करने के लिए कोशिश हो रही है ओपेन डेफिकेशन फ्री हो जाय, खुले में शौच से मुक्ति हो जाय, तो इसके लिए क्या कैंपेन चल रहा है, सीतामढ़ी जिले का बेलसंड अनुमंडल ओ0डी0एफ0 हो गया और चारों तरफ रोहतास में भी तीन ब्लॉक में हो गया, तो अनेक जगहों में लोग जगे हैं, उनमें उत्साह पैदा हुआ है और अब धीरे धीरे होगा, तो इन सब चीजों के लिए प्रयास किया जा रहा है और अब हमलोगों की जो भी स्कीम हैं, वह यूनिवर्सल हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, सबको उसमें जोड़ रहे हैं, तो इसलिए पुरानी किसी स्कीम को हमलोगों ने नजरअंदाज नहीं किया है, आप देखिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कितना पाराग्राफ है, अभिभाषण की कॉपी आपके पास है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पारा-36 से लेकर 48 तक कृषि रोडमैप का है, इसके बाद पारा-69 कृषि रोडमैप से रिलेटेड है, महामहिम के भाषण में भी यह सारी बातों का उल्लेख है और आप कह रहे हैं, एक साल के बाद न्याय के साथ विकास की जो यात्रा हुई महागठबंधन सरकार के एक साल के बाद, जो हमलोगों ने रिर्पोट कार्ड जारी किया है, उसको देख लीजिये, उस रिपोर्ट कार्ड में नहीं तो ऑन लाईन निकाल कर भी देख लीजिये, आपको मिल जायेगा, एक-एक योजनाओं के बारे में, कहना आसान है लेकिन बोल करके बहुत से लोग निकल जाते हैं, आप देख लीजिये कृषि का 74 पेज पर वहॉ से लीजिये, 95 पर आइये, यानी हर जगह देखेंगे कि इन सभी चीजों का जिक्र है 95 तक, फिर 107 पर आइये तो भूमि से संबंधित सारे मामले हैं, तो इस प्रकार से चाहे सुशासन के कार्यक्रम हों, हर साल का हमारा रिर्पोट कार्ड देख लीजिये, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण देखिये, इसलिए किसी भी स्थिति में हमलोग अपनी पुरानी योजनाओं को भूल नहीं रहे हैं बल्कि उसको और मजबूती से उसपर अमल कर रहे हैं और इन सब चीजों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं और इसके लिए धन राशि का प्रबंध कर रहे हैं, इस वित्तीय वर्ष का जो बजट आया है, उसको भी गौर से देख लीजिये, इस काम को कैसे पूरा किया जाय, इसके लिए हमलोग पूरे तौर पर प्रयत्नशील हैं और इसमें सबका सहयोग चाहिए, यह कोई ऐसा नहीं है कि सत्तापक्ष के लोगों के क्षेत्र में होगा और जो विपक्ष

के लोग हैं उनके क्षेत्र में नहीं होगा, यह तो सबके क्षेत्र में होने वाला है, हर जगह होने वाला है.....(व्यवधान)

अरे नहीं कैसे हो रहा है, बोल देना आसान है, नहीं कैसे होगा और यह होगा, पूरे तौर पर होगा और उस समय दो साल के बाद आपको आईना दिखा दिया जायेगा, यह पूछ करके कि जो आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो कल जब होगा, तो इसका दावा मत कीजियेगा, ये लोग तो तुरत दावा करने लगते हैं कि केन्द्र सरकार की स्कीम है, अरे भाई क्या केन्द्र सरकार की स्कीम है, कौन सी स्कीम केन्द्र सरकार की है बिजली, पूरे चुनाव में क्या-क्या भाषण करवा दिये आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, हर मीटिंग में कि बिजली आयी, बिजली आयी और समस्तीपुर में किसी ने नीचे से बोल दिया कि जी हॉ बिजली आयी, तब भी आपलोग ठीक से रिपोर्ट नहीं दिये पी0एम0 को, अगर प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव के दौरान बिजली के मामले में जो कुछ भी कहा और उसका उलटा असर जनता पर पड़ा, इसके लिए जिम्मेवार ये बिहार भाजपा के नेता हैं, इन्होंने गलत तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया और इसी के कारण ये लोग आज भुगत रहे हैं और बिजली हम बताते हैं बिजली आपका.....(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः- अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ ।

अध्यक्षः- माननीय नेता प्रतिपक्ष, अभी क्या व्यवस्था हो सकती है ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः- माननीय मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइये । महोदय, इस राज्य में जो घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है और इस राज्य में लगातार जो अपराध बढ़ रहा है उसके बारे में न बोलिये । आपके राज्य में टॉपर घोटाला हुआ है, बी0एस0एस0सी0 घोटाला हुआ है, अनाज घोटाला हुआ है.....(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः- क्या आप दोबारा भाषण दिलवा रहे हैं ? ये दोबारा भाषण दे रहे हैं, मैं तो एक विषय को लेकर बोला, हम एक-एक विषय पर आयेंगे, ऐसा न हो कि उठकर भाग जाइये.....(व्यवधान)

अध्यक्षः- नेता प्रतिपक्ष, आप बैठ जाइये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः- अध्यक्ष महोदय, बैठने का इनको साहस नहीं है, सुनने का साहस इनको नहीं है..... (व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बर्हिगमन कर गये)

टर्न-16/सत्येन्द्र/28-2-17

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय,हम एक-एक बात पर आ जायेंगे,एक-एक बात पर आयेंगे और यह मालूम हैं ये बैठकर सुनेंगे दूसरी जगह,स्क्रीन पर देखेंगे इसलिए हमको पता है और आजकल तो इलेक्ट्रोनिक ऐज है इसलिए कोई चिन्ता की बात नहीं है सामने इनकी हिम्मत ही नहीं है न, मुश्किल है बहुत परेशानी में पड़ते हैं । अच्छा हम तो सब बात जानते हैं इनका ऐसा तो है नहीं कि कोई बात नहीं जानते हैं, क्षमा कीजियेगा 17 साल साथ थे इसलिए हमको सब पता है । अब है विद्युतीकरण की बात, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केन्द्र सरकार ने शुरू किया, नाम बदल दिया राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का । जब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नाम था तो 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती थी और 10 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान होता था । नाम बदल दिया दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो गयी । क्या हुआ, केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत से घटाकर के अपना अंशदान कर दी 60 प्रतिशत और राज्य का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़कर हो गया 40 प्रतिशत । यही है इनकी खासियत, यही है इनकी खासियत और इसके बाद जो कुछ भी हो रहा है अभी हमलोग तो अपने यहां कर रहे हैं ग्रामीण विद्युतीकरण पूर्ववर्ती योजना उसके अन्तर्गत बी0आर0जी0एफ0 स्पेशल प्लान के अन्तर्गत हमलोग पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन जो बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत कमिटमेंट था वह कमिटमेंट भी पूरा नहीं कर रहे हैं । मिलना चाहिए था 6000 करोड़ के करीब और दे रहे हैं ये 1100 करोड़ । कितना मिला है जी, 1100 कि 1200, 1300 करोड़ अब आप सोच लीजिये और दावा करेंगे पीछे कि हमारा पैसा है, अरे क्या पैसा है आपका? इसलिए तो हमने इनको बतलाया विद्युतीकरण के मामले में, चुनाव के टाईम में तो गलत रिपोर्टिंग दे दिया इन लोग लेकिन चुनाव के बाद चित हो गये जब चारों खाने तब उसके बाद प्रधानमंत्री जी आये बिहार के कार्यक्रम में तो क्या कहा उन्होंने विद्युतीकरण के क्षेत्र में बिहार का काम अच्छा है, तारीफ कर के गये तो बिहार में तो बिजली का काम बहुत अच्छा हो रहा है और आज बिजली के क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण हो या बिजली के क्षेत्र में और भी जो कुछ काम हो और हमलोगों ने तो तय कर दिया कि हर घर बिजली का कनेक्शन, तो ये सारा काम हो रहा है तो हमलोगों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखा है और बी0आर0जी0एफ0 की स्थिति जान लीजिये । केन्द्र से कुल स्वीकृत है 9210 करोड़, मिलना तो चाहिए था 10500 करोड़ स्वीकृति इतने की दी और राशि कितनी मिली है, 4737 करोड़ और हमलोग खर्च कितना कर चुके हैं, 5749 करोड़ रू0 । हमलोग अपनी तरफ से पैसा लगाकर के उन सारी योजनाओं को पूरा कर रहे हैं और जान लीजिये ये पैसा अपनी तरफ से खर्च करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट पर ऋण लेकर हमलोगों को काम करना पड़ रहा है और ये बात करेंगे हमलोग किसी काम को रूकने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो परेशानी हो, चाहे ये जितना दिन लगायें अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए लेकिन

अब सामने बैठेंगे तब तो पूरा एक्सपोज हो जायेंगे इसलिए इनको तो भागना ही है, हर चीज में लोगों को कोशिश करेंगे, लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे । हम किस किस विषय पर आपको ये बात बतलायें तो हर क्षेत्र में हमलोगों की कोशिश है । अब भ्रष्टाचार पर आईए, भ्रष्टाचार में तो हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, कह दिया कि साहब इतना पकड़े गये रंगे हाथ घूस लेते हुए भ्रष्टाचार बढ़ गया है यह भ्रष्टाचार बढ़ने का प्रमाण है या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो मशीनरी है उसको सशक्त होने का यह प्रमाण है, कौन नहीं जानता है इधर उधर क्या होता रहता है समाज में, ये सारी बात हुई है, कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, चाहे वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो, पेपर लीक से संबंधित मामला बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग का हो, अवैध खनन पत्थर बालू से संबंधित हो, सबौर कृषि विश्वविद्यालय की नियुक्ति से संबंधित हो, सब चीजों के मामले में हमलोगों का रूख और रबैया पूरे तौर पर स्पष्ट है । निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ट्रैप के 110, पद के भ्रष्ट दुरूपयोग से संबंधित 28 एवं डिस्प्रोपोरशनेट ऐसेट से संबंधित 21 कांड सहित कुल 169 कांड दर्ज हुए हैं जिसमें 121 आरोपी लोक सेवक हैं । हमलोग तो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और आप बात करते हैं, इन दिनों रोज न रोज कुछ न कुछ सवाल, विद्यालय परीक्षा समिति का हंगामा हुआ, किसने दिया आदेश । जब चार दिन, पांच दिन मीडिया में खबर आयी, यहां बैठे हुए हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी, मैंने इनसे बात की, अधिकारियों को बुलाया, सबसे जानकारी ली और एक ही बैठक में जो जानकारी ली और हमने अखबार में देखा कि बोल रहा है विद्यालय परीक्षा समिति का आदमी कुछ डी0एम0 के बारे में कह रहा है तो हमने पूछा कि भाई इसमें डी0एम0 का क्या रोल है आदि आदि तो मेरे दिमाग में एक खटका लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है, जैसे ही मामला अगर गड़बड़ होता है तो लोग डायवर्ट करने की कोशिश करता है तो हमने तत्काल सब लोगों को बुलाया, शिक्षा मंत्री थे चीफ सिक्रेटरी थे, डी0जी0पी0 थे, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे और विद्यालय परीक्षा समिति । हमने पूछना शुरू किया, पूछते पूछते धीरे धीरे लगा कि अब ये लोग खलास होता चला जा रहा है उसके बाद हमने कहा हमने एक बात समझ लिया तो उसके बाद कहा कि अब जाईए आप लोग और बच गये चीफ सेक्रेटरी, शिक्षा मंत्री चीफ सेक्रेटरी डी0जी0पी0 और प्रधान सचिव शिक्षा, हमने कहा कि साहब इस बातचीत से मुझको स्पष्ट तौर पर मैनसिरिया झलक रहा है, कहीं न कहीं लोगों की भूमिका है और गडबड़ी हुई है जो इस पर तत्काल अब जांच का विषय नहीं है, जांच मतलब कि प्रो-इंक्वायरी का विषय नहीं है, हमने कहा अब तो ये केस दर्ज कराईए और सीधे अनुसंधान कराईए ताकि लोग जायें क्योंकि जांच करने की जरूरत नहीं है बात स्पष्ट है कि गड़बड़ हुआ है, किसी ने गड़बडी की है, अब इसको सीधे ले जाईए और पुलिस केस दर्ज होता है शिक्षा विभाग के द्वारा, पुलिस अनुसंधान शुरू होता है, एक-एक कर के लोग पकड़ाते

गये कि नहीं, अंदर गये कि नहीं गये अंदर । कर्मचारी चयन आयोग के मामले में भी हाल में जो खबर आयी अखबारों में पेपर लीक, तीन दिन तक आता रहा, कोई कहा पेपर लीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ है । कर्मचारी चयन आयोग का हमने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि बात क्या है भाई, चीफ सेक्रेटरी डी0जी0पी0 दोनों को बुलाया कि मामला क्या है, ये लग रहा है इतनी बात हो रही है तो देखना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं तो उन लोगों ने दिखलाया कि ये-ये स्टेटमेंट आया है और फिर दिखलाया कर्मचारी चयन आयोग के सिक्रेटरी का स्टेटमेंट तो हम पढ़े तो हमने देखा इसमें भी लिखा हुआ है कि परीक्षा का नियंत्रण डी0एम0 के हाथ में है । भई परीक्षा का नियंत्रण डी0एम0 के हाथ में कैसे है? परीक्षा का मतलब होता है क्वेश्चन पेपर की सेटिंग, कौन क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, किस प्रिंटिंग प्रेस में यह छपेगा, किस प्रकार से वहां से एक्जामिनेशन सेंटर तक जायेगा, ये पूरी ऐसी चीजें हैं कि ये पूरी गोपनीयता के साथ की जाती है और डी0एम0 तो इतना ज्यादा है, सब डी0एम0 को मालूम रहेगा कि क्वेश्चन कहां छपा और क्वेश्चन पेपर कहां से आवेगा यह मालूम रहेगा सब डी0एम0 को, ये मेरी बात समझ में नहीं आती है और जब हमने पूछना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि भई ये तो इस प्रकार से होता है, केन्द्रीयकृत होता है तो हमने कहा कि ऐसा है तो हमने कहा कि भई जरा ठीक से पता कर लीजिये ये बात कंफ्यूजिंग आ रही है मीडिया में रोज छप रहा है कि भई लीक हुआ है और लोग सफाई दे रहे हैं लीक नहीं हुआ है, बोगस न्यूज हैं तो हमने चीफ सेक्रेटरी और डी0जी0पी0 को कहा कि इसको भई जरा तत्काल इसको ठीक से समीक्षा कर लीजिये, जांच कर लीजिये । साहब 48 घंटे के अन्दर या उससे भी कम समय में इन लोगों ने मुझे सूचना दी कि साहब ये तो पेपर लीक हुआ है, ये बात तो सही है, ये पेपर लीक किया है और उस समय डिमांड कर रहे थे लोग कि एक्जामिनेशन कैंसिल करो, कैंसिल करो, आन्दोलन कर रहे थे तो हमने कहा तत्काल तब तो आपकी रिपोर्ट है और पेपर लीक हुआ है तो डी0जी0पी0 के रिपोर्ट पर चीफ सेक्रेटरी ने अनुशंसा की और एक्जामिनेशन को कैन्सिल करने का फैसला हो गया । अब इसके बाद बात आगे चली भई पेपर लीक हुआ है तब तो इसकी जांच करनी ही पड़ेगी और जांच हो रही है, इस बीच में बवाल मचाने की क्या जरूरत है।(क्रमशः)

टर्न-17/मधुप/28.02.2017

..क्रमशः ..

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : मुझको जरा बताइये कि इस देश का जो कानून है, वह सब पर लागू होता है या कुछ लोग उससे वंचित हैं । इस देश में राष्ट्रपति को छोड़कर सब पर इनवेस्टीगेशन का कानून लागू होता है । कोई नहीं धरती पर बचा है, न हम हैं, न आप

हैं, न प्रधानमंत्री हैं, कोई नहीं है । एक राष्ट्रपति को एक्जम्प्शन दिया गया है । कोई एक्जम्प्टेड नहीं है । इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये । अनुसंधान करने का दायित्व तो पुलिस का ही है, एजेन्सी तो वही है । सरकार जॉच कराने का आदेश दे सकती है लेकिन जॉच तो करना पड़ेगा आई0ओ0 को ही और उसके लिये जब एस0आई0टी0 की टीम गठित कर दी है पुलिस ने, तब वह जॉच कर रही है, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेगी । जो कुछ भी होगा, वह मामला अदालत में जायेगा । अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको बेवजह फॅसाया जा रहा है, उसको निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा। इनवेस्टीगेशन के दौरान अगर साक्ष्य नहीं होगा और बगैर साक्ष्य के पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, अल्टीमेटली उसपर तो कार्रवाई टिक नहीं सकती है । इसलिये ऐसे अवसर पर इस चीज को विवाद में डालना, इसका क्या मतलब है ? एक आसान-सी आदत आजकल हो गई है, पहले तो हल्ला हुआ पेपर-लीक । अब जॉच शुरू हो रहा है, जॉच में जो कुछ भी हो, आगे कार्रवाई बढ़ रही है एस0आई0टी0 की, मैं तो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, सरकार का कोई अधिकार नहीं है, इनवेस्टीगेशन में कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, हम भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं । न हम कह सकते हैं कि इसको फॅसाओ, न हम कह सकते हैं कि इसको बचाओ । कोई अधिकार नहीं है सरकार का । तो अगर काम हो रहा है तो काम होने दीजिये । लेकिन आजकल एक फैशन चल गया है, तुरंत हो जाता है, कहता है कि सी0बी0आई0 की जॉच करा दी जाय । अरे भाई, सी0बी0आई0 भी तो पुलिस ही है, सी0बी0आई0 में कोई दूसरे सिविल सर्विस वाले तो नहीं न हैं, पुलिस सर्विस वाले ही न हैं ! सी0बी0आई0 भी तो पुलिस का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है न !

मैं आपलोगों के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि आज जरा-सा आप इस बात को देख लीजिये । सी0बी0आई0 को कई मामले मिले हैं, पहले से ही मिले हैं। सी0बी0आई0 को पहले से ही कई मामले मिले हैं, जॉच होती है । अभी तो कल एक जगह चर्चा हुई तो हमने पूछ दिया था जो ब्रह्मेश्वर मुखिया कांड था, उसके बारे में हमने कहा कि सी0बी0आई0 जॉच, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या हुई थी, उस समय एन0डी0ए0 की सरकार थी, सबसे ज्यादा तो मेरे उपर अटैक हो रहा था, आलोचना हो रही थी । क्या-क्या नहीं हुआ था, रास्ते में जितना होर्डिंग सरकारी लगा हुआ था जिसमें अगर मेरी तस्वीर थी उसको फाड़ दिया गया था । आप याद करिये जरा और ये लोग तो उस समय मेरे साथ थे सरकार में और जो हो रहा था । जॉच हो रही थी और तरह-तरह की बात, एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही थी तो हमलोगों ने सी0बी0आई0 को भेज दिया । सी0बी0आई0 ने मना कर दिया । पुलिस जॉच कर रही थी । फिर उसके बाद बड़ा भारी आन्दोलन शुरू हुआ तो हमलोगों ने फिर प्रयास किया सी0बी0आई0 को कि ले तो लीजिये, कारण सरकार चाहती है कि

सचमुच हत्यारे जो कोई हो और कोई पुलिस अनुसंधान से बच रहे हैं तो बचे नहीं और लोगों को कम से कम संतोष की अनुभूति तो हो । सी0बी0आई0 की माँग कर रहे हैं तो सी0बी0आई0 की जाँच हो । खैर, दूसरी बार बहुत आग्रह करने के बाद सी0बी0आई0 की जाँच हुई । अब इसके बाद जरा बताइये, अनुसंधान सी0बी0आई0 के द्वारा किया जा रहा है लेकिन जो पुलिस इनवेस्टीगेशन हुआ था उसके आगे नया कुछ तथ्य आया है क्या ? मैं जानना चाहता हूँ । जो सी0बी0आई0-सी0बी0आई0 तुरत बोलते हैं और लिखते हैं, क्या आया है नया तथ्य ? मुजफ्फरपुर नगर थाना कांड, नवरूणा चक्रवर्ती के अपरहण का मामला था, कितना लोग करते हों पुलिस इनवेस्टीगेशन, उसके बाद अंत में हुआ कि सी0बी0आई0 जाँच हो, हमने कहा कि एकदम सी0बी0आई0 को दिया जाय । सी0बी0आई0 के जाँच से कोई उल्लेखनीय प्रगति हो गई है क्या, पुलिस इनवेस्टीगेशन के आगे ? मैं जानना चाहता हूँ । भगवान महावीर की मूर्त्ति के प्रकरण में भी हमलोग सी0बी0आई0 को दिये लेकिन मुर्त्ति रिकवर भी हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें कोई खास आगे सी0बी0आई0 का कोई अलग से नहीं हो सका । अभी सीवान नगर थाना कांड संख्या 362/16 पत्रकार राजदेव रंजन हत्या कांड से संबंधित मामला सी0बी0आई0 को दे दिया गया । अब पुलिस इनवेस्टीगेशन के अलावा कौन-सी नई चीज आ गई है उसमें ? आप जरा बता दें, सी0बी0आई0 की जाँच की माँग, कभी-कभी तो मुझको लगने लगा है कि अनुसंधान जो प्रगति पर रहता है, उसपर कहीं पर्दा डालने के लिये तो नहीं होता है ! यह भी देखना चाहिये । हमें किसी चीज में क्या एतराज है ? हमें कोई एतराज नहीं है। न हमने आजतक इतने दिनों के कार्यकाल में किसी को फँसाया है, न हमने बचाया है लेकिन कानून सबके लिये समान है ।

आज बड़े पैमाने पर अखबारों में खबर छपी है - आई0ए0एस0 ऑफिसर्स एसोसिएशन की और मेमोरेंडम की बात आई है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कल से मेमोरेंडम का । हमने पढ़ा था अखबार में कि गवर्नर साहब को दिया गया है, उसकी कॉपी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी जायेगी, मैं इंतजार में हूँ । मेरे पास नहीं आया है, न गवर्नर साहब के रूट से आया है, न डायरेक्ट आया है, न डिपार्टमेंट के थ्रू आया है । हम बैठे हुये हैं, इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मेमोरेंडम का एक-एक शब्द हम पढ़ेंगे, एक-एक शब्द पढ़ेंगे और उसको पूरे तौर पर हम एक्जामीन करवायेंगे । उसको एक्जामीन कराकर जो भी हमारे देश का संविधान है, जो भी हमारा कानून है, जो भी कोड है, उसके अनुरूप कार्रवाई हो, यह सुनिश्चित करेंगे । एक बात और जान लीजिये, उस मेमोरेंडम का मैं इंतजार इसलिये कर रहा हूँ कि उसपर आगे पूरी समीक्षा करके एक-एक बिन्दु की समीक्षा करवाकर हम उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि वह गवर्नेंस के क्षेत्र में माइल-स्टोन होगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ । कौन क्या कह रहा है ? अब बताइये साहब, आज एक विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक एस0एम0एस0 चारों तरफ चलवाया है, हमारे

स्पीकर साहब के ओ0एस0डी0 का एस0एम0एस0 चलवाया है । हमको कुछ अखबार वाले दिखा रहे थे । क्या लिखा हुआ है उसमें भाई ? पुलिस तो अनुसंधान कर रही है, देखेगी । क्या उस एस0एम0एस0 का रिश्ता पेपर-लीक से है ? जब अखबार वाले कुछ लोग बैठे हुये थे हमारे चेम्बर में तो दिखाये, हमने कहा कि पढ़िये न भाई । इसमें जो एस0एम0एस0 किया है, वह माँगा है क्या कि जो लीक हुआ है पेपर, उसकी एक कौपी हमको भी दे दीजिये । लिखा हुआ है क्या ? किस चीज की पैरवी है ? तो मेरी नजर पड़ी ए0एन0एम0 की और यह परीक्षा किस चीज की हो रही थी ? देखिये साहब । यकीन रखिये मुझे पूरा भरोसा है कि जो अनुसंधान करने की टीम है, बगैर किसी पूर्वाग्रह के अपना काम करेगी, चाहे कोई किसी को सर्टिफिकेट दे या कोई किसी की निंदा करे, इससे प्रभावित न हों । अगर मैं कुछ कहूँगा तो यह ठीक नहीं होगा इसलिये कि तब कहा जायेगा कि अनुसंधान प्रभावित होगा । इसलिये मैं तो इतना ही कहूँगा, एस0आई0टी0 से हमलोगों की यही अपेक्षा है कि न किसी के बयान का, न किसी बात का असर पड़े, पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ जाँच करिये, न किसी को फँसाइये, न किसी को बचाइये । यह होना चाहिये और यही हो रहा है ।

बार-बार ये बी0जे0पी0 के नेता बोल देते हैं हमेशा, हमारे पुलिस के अनुसंधान पर सवाल उठाते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि जो आई0पी0सी0 है, इंडियन पेनल कोड है और सी0आर0पी0सी0 है, क्रिमिनल प्रोसिज्योर कोड है, उसी के मुताबिक तो अनुसंधान होता है । उसमें अनुसंधान किसको करना है, हमको बताइये जरा । वही पुलिस को करना है । किसको करना है अनुसंधान, हमको बता दीजिये । देश का ज्यूरिस प्रूडेंस क्या कहता है, देश का संविधान क्या कहता है ? जो कहता है उसी के मुताबिक काम हो रहा है । अगर आप इसमें कोई परिवर्त्तन चाहते हैं तो ले आइये न ! गैर-सरकारी संकल्प का दिन है, आपसे बात करके ले आइये यहाँ, विधेयक ले आइये और सी0आर0पी0सी0 में अमेंडमेंट करा दीजिये । हमको कोई दिक्कत नहीं है, प्रस्ताव ले आइये और लिखिये कि इनवेस्टीगेशन करने का राइट बी0जे0पी0 के नेताओं को होगा। हम मान लेंगे । सी0आर0पी0सी0 में अमेंडमेंट करके इनवेस्टीगेशन का अधिकार आपको मिल जाय पुलिस पावर । आप ले आइये कानून में संशोधन, हम भी मान जायेंगे और उसको भेज देंगे दिल्ली, क्योंकि यह तो सेन्ट्रल ऐक्ट है, राज्य अपना अमेंडमेंट करेगा लेकिन केन्द्र सरकार उसको मंजूर करती है, राष्ट्रपति मंजूर करते हैं, तभी वह मंजूर होता है । ...क्रमशः ...

टर्न-18/आजाद/28.02.2017

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : (क्रमशः) तो हम भेजवा देंगे कि बिहार के बी0जे0पी0 के नेताओं को पुलिस पावर दिया जाय खास-खास मामले के इनवेस्टीगेशन के लिए, हमें कोई एतराज नहीं है । सी0आर0पी0सी0 में एमेंडमेंड ले आईए, हमलोग यहां से भेज देंगे । आपकी केन्द्र में सरकार है, वहां से मंजूर करा लीजिए । आप ही जॉच करिए, आप ही सब जॉच करिए । यानी क्या मजाक है, अपना नाम लिखकर दें कि इनको दिया जाय पुलिस पावर इनवेस्टीगेशन का, हम एग्री कर जायेंगे । अगर आपलोग नहीं मानियेगा तो हाथ जोड़कर के आपसे एग्री करायेंगे और यहां से पास करा देंगे कि इनको पुलिस पावर दे दिया जाय, इनवेस्टीगेशन का राईट इनको दे दिया जाय । अरे साहेब, मजाक मत बनाईए अपना और देश की जो पूरी की पूरी पद्धति है संवैधाानिक और कानूनी पद्धति और देश का जो ज्यूरिसप्रुडेंस है, उसका मजाक मत उड़ाईए । कौन सरकार में बैठ करके यह काम कर सकता है । आप अगर ऐसी बात कहते हैं कि सरकार में बैठा हुआ आदमी इनवेस्टीगेशन को प्रभावित कर सकता है तब तो इसका मतलब यही है कि सी0बी0आई0 पर आप आक्षेप लगा रहे हैं । तब तो आप सी0बी0आई0 पर आक्षेप लगा रहे हैं कि केन्द्र में जो बैठे हुए लोग हैं, वही डायरेक्ट करेंगे उनके अनुसंधान का । यह संभव है, है किसी को अधिकार, कोई पावर है, हमको कोई बता दे, मैं बाहर कितना बोलूं बिना वजह के, मुझे अच्छा नहीं लगता है । यह सदन है और सदन के प्रति हमलोग जवाबदेह हैं, इसलिए खुलकर के बात को रखना मेरा कर्त्तव्य है और मैं इन बातों को रखना चाहता हूँ । इसलिए मैं इतनी बात कहता हूँ चाहे कुछ भी हो, चाहे बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर का मसला हो, जिसमें हमारे एक माननीय विधायक पर एफ0आई0आर0 हुआ, जो कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे । भाई एक दिन अखबार में बयान देख लिया कि मुख्यमंत्री के यहां फाईल पेंडिंग रही । हमने पता कराया कि मेरे यहां फाईल, कैसी फाईल पेंडिंग रही तो पता चला कि मेरे यहां क्यों फाईल आयेगी भाई, वह तो कोर्ट गया था कई लोग और कोर्ट से हुआ कि एप्रोप्रियेट ऑथोरिटी के यहां जाईए तो कहीं दिया होगा । चांसलर साहेब के यहां दरख्वास्त दिया और उन्होंने उसको जांच कराया और जॉच के बाद जो भी नतीजा आया और डायरेक्शन गया, एफ0आई0आर0 दर्ज किया है यूनिवर्सिटी ने । जब एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ है तो अनुसंधान होगा और एस0आई0टी0 गठित है और अनुसंधान कर रहा है । अनुसंधान करेगा, साक्ष्य मिलेगा, पूछताछ करेगा, जो उसकी प्रक्रिया है, वह उसको अपनायेगा, उसको कौन बचा रहा है । एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ, उसी आधार पर हमारे यहां पार्टी को चलाने का अपना एक मापदंड है, कोड है । हमलोगों ने सस्पेंड कर दिया, कौन बचा रहा है ? मैं चुनौती देना चाहता हूँ, अगर सबूत है तो उसके साथ आईए । सरकार किसको बचा रही है, किसको फोन कर रही है और बात करते हैं । रोज तो फोन करते रहते हैं, हम कितना भेद खोलें, किसको फोन करते रहते हैं और क्या-क्या चीज के

लिए फोन करते रहते हैं । यह उचित नहीं है मेरे लिए, मेरी भी मर्यादा है । आखिरकार आपलोगों के समर्थन से और बिहार की जनता के आदेश से अगर मैं किसी पद पर बैठा हुआ हूँ तो मेरा कोई कर्तव्य है । बेकार बकवास मत करिए । कोई फायदा नहीं है इन चीजों से, आप इन चीजों को इधर से उधर करना चाहते हैं । एक सेक्स स्कैंडल की बात आयी, अत्याचार की बात आयी । हमारे पास लड़की आयी, अभिभावक आये, हमने तत्काल अपने कार्यालय में ही होम सेक्रेटरी और डी0जी0पी0 को बुलाया और कहा कि पूरी बात सुन लीजिए और इमेडियट एक्शन लीजिए । हम तो देर नहीं करते हैं। अब इसके बाद किसका इनवोल्वमेंट है, क्या है, उसके चलते महागठबंधन के एक दल को बदनाम करना चाहते हैं । इसका क्या मतलब है, कौन डिफेन्ड कर रहा है, इनवेस्टीगेशन होगा, जो दोषी होगा तो उसको कौन इस धरती पर बचायेगा । लेकिन जब इनवेस्टीगेशन चल रहा है और इस बीच में क्यों प्रश्न उठाते हैं, इनवेस्टीगेशन होता है, जब साक्ष्य मिलते हैं और तब अनुसंधान करने वाली टीम किसी को पकड़ती है और कोर्ट से वारेन्ट लेने के बाद गिरफ्तार करती है । पुलिस पर तो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो ले लीजिए, एमेंडमेंट ला करके हमलोग आपको ही इनवेस्टीगेशन का पावर देने के लिए तैयार हैं, आप भारत सरकार से भी मंजूरी करवा लीजियेगा राष्ट्रपति जी का, लेकिन यह बकवास मत करिए । समाज का इतना बढ़िया माहौल है, इतना ज्यादा लोग संतुष्ट हो करके बिहार की छवि बेहतर हुई प्रकाश पर्व के आयोजन से और उसके बाद बोट ट्रेजडी होती है, क्या-क्या नहीं कहा गया साहेब, एक चैनल ने तो नौर्मली हम देखते नहीं है, लेकिन ऐसी कोई घटना घटती है तो तत्काल इमेडियट इनफॉरमेशन के लिए टेलिविजन देखते हैं। हमने देखा एक चैनल पर एक पत्रकार कह रहा है प्रकाश पर्व से इसको जोड़ दे रहा है, कहा कि प्रकाश पर्व के लिए इतना किया गया, इतना पैसा पानी की तरह बहाया गया एक बोट ट्रेज्डी पर, मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ । हालांकि जो कहने वाले थे, पूरा चैनल ही पूरा टीम ही दूसरी तरफ भाग गया । देखिये क्या कहा जाय साहेब, कैसी-कैसी बात लोग करते हैं । हमने तत्काल कहा कि हम इसको मोनिटर कर लेंगे, हुआ क्या , अगले दिन विज्ञापन देख रहे हैं, उसमें हमारा विज्ञापन छापे हुये हैं । मुख्यमंत्री का फोटो छापने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति लेनी पड़ती है । हमने पूछा कि अनुमति ली गई है तो बताया गया कि नहीं, हमारे पास तो नहीं आया है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि मुफ्त में यहां से वहां पहुँचाया जायेगा तो इसका इन्तजाम करना था न । हमने इसपर सबको बुलाया और पूछा एक-एक बात, उसके बाद हमने जॉच का आदेश दिया, उसमें एक आई0ए0एस0 अधिकारी और एक आई0पी0एस0 अधिकारी की ज्वायंट टीम जॉच की और जॉच करने के बाद रिपोर्ट आ गयी और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी । अगर कोई घटना घट गई तो जॉच नहीं करायेंगे, पब्लिक चिल्ला रही है और हम भी देख रहे हैं कि

किये-धिये पर पानी फिर रहा है । एक तरफ इतना बड़ा सफल आयोजन किया जा सकता है और दूसरी तरफ एक पतंग उत्सव का आयोजन ठीक नहीं हो सकता है ? कौन जिम्मेवार है तो जॉच होती है, अगर जॉच रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर संबधित विभाग के जरिये मुख्य सचिव के माध्यम से हमारे पास संचिका आयेगी और उसपर हम निर्णय लेंगे, उसका एप्रुवल करेंगे तो कार्रवाई होगी । अब कोई चिल्लाने लगेगा कि इसको सस्पेंड किया गया, उसको सस्पेंड किया गया । नौकरी कर रहे हैं कर्त्तव्य निभाने के लिए, हम कुछ भी करें और हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कोई कानून है क्या ? है कोई कानून क्या, लोग बता दें कोई, उसपर भी हम देख रहे हैं, इधर ब्यान, उधर ब्यान यानी इसका मतलब कि पेपर लीक हो, गाली सुनते रहिए और बैठ करके सिर झुकाकर बैठे रहिए, लोग कहे कि यही लोग करवाया हो, कर कुछ नहीं रहा है । नाव दुर्घटना हो जाय, 24 लोग मर जाय और कोई जिम्मेवारी तय नहीं करिए, जिम्मेवारी तय होगी तो कार्रवाई होगी । आखिर ऐसा क्या है जो कार्रवाई नहीं होगी । ऐसी कौन सी घटना है जिसको लेकर कई दिनों तक आन्दोलन नहीं हुये थे, एजीटेटेड नहीं थे, दु:खी नहीं थे, कौन दु:खी नहीं था । आप एक बात जान लीजिए कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई चेहरा देख कर नहीं होती है । उसका कोई आधार होता है, उसके आधार पर होती है लेकिन आप देखियेगा कि यहां पर तो तरह-तरह लोग इस तरह से करने की कोशिश करेंगे तो मैंने कहा कि इन चीजों पर कोई समझौता नहीं हो सकता है, हम इसपर कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन अगर कोई घटना होगी तो जॉच का आदेश देना हमारा कर्त्तव्य है । अगर हम इस कुर्सी पर बैठे हैं तो इस कुर्सी पर हम बैठे रहने के लिए नहीं, यहां के लोगों ने विश्वास प्रकट किया है विपरीत परिस्थितियों में भी तो इसलिए नहीं कि हम बैठे रहने वाले आदमी हैं, यह सोच कर बिहार के लोगों ने विश्वास नहीं दिया है, इसलिए जब हमारे सामने कोई मामला आयेगा तो हम न्यायसंगत कार्रवाई करेंगे, विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे और निष्पक्षता के साथ हम काम करते हैं । हमने कभी किसी को किसी भी प्रकार से अनावश्यक कोई प्रताड़ित करने की बात नहीं की है । कोई बात होती है, अगर मैं उचित समझता हूँ तो उस बात को रखता हूँ । आज कोई बोल रहा था अपराध की स्थिति के बारे में, अपराध की स्थिति में तो बहुत सुधार आया है । अगर अप्रील, 2015 से जनवरी, 2016 के आंकड़ों की तुलना अप्रील,2016 से जनवरी,2017 के आंकड़ों से की जाय तो अपराध के विभिन्न शीर्षों में कमी दर्ज की गई है । हत्या में 22 प्रतिशत की कमी, लूट में 18 प्रतिशत की कमी, डकैती में 23 प्रतिशत की कमी, गंभीर दंगा में 33 प्रतिशत की कमी, फिरौती हेतु अपहरण में 42 प्रतिशत की कमी, बैंक डकैती में 11 प्रतिशत की कमी, बैंक लूट में 40 प्रतिशत की कमी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध अपराध में 10 प्रतिशत की कमी आयी है, सड़क दुर्घटना में 17 प्रतिशत आदि ।

..... क्रमशः .....

टर्न-19/शंभु/28.02.17

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : क्रमशः.....ये कमी आयी है। कौन से आंकड़े बताते हैं और हम तो यह बिहार में कमी आने का जिक्र कर रहे हैं, अगर देश के विभिन्न प्रान्तों से अपराध के आंकड़े की तुलना करेंगे तो एक लाख की आबादी पर जितने अपराध होते हैं पूरे देश में अलग-अलग प्रान्तों में तो बिहार 22वें नंबर पर है। एक नंबर पर दिल्ली है- दिल्ली का क्राइम कंट्रोल किसके जिम्मे है ? और बात करते हैं। हम तो 22वें नंबर पर हैं। इनके शासित राज्य हैं उसके उपर हैं सब और यहां आरोप लगायेंगे। यहां अपराध की स्थिति बहुत अच्छी है, अपराध की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है।

श्री महबूब आलम : महोदय.....

अध्यक्ष : अरे बैठिए। आप क्यों खड़े हो गये। आप बिना आसन की इजाजत के क्यों बोले जा रहे हैं, आप बैठ जाइये। नहीं, आप बैठ जाइये।

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : बोल लीजिए। अरे बाहर जाना है न! बोल लेने दीजिए, बोलकर बाहर जाना होगा शायद।

अध्यक्ष : बाहर जाना है ? आप तो भाषण दे चुके हैं।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम0एल0)के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया)

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द्र एवं सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है। वर्ष 2016 तथा 2017 में सभी प्रमुख पर्व, त्योहार छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रायः शंतिपूर्ण संपन्न हुए हैं। सरस्वती पूजा 2017 में 5, महाशिवरात्रि 2017 में मात्र 1 सांप्रदायिक तनाव की सूचना पूरे बिहार राज्य से प्रतिवेदित हुई है। जो सांप्रदायिक सद्भावना, एकता, सौहार्द्र तथा समरसता का द्योतक है। लोगों के कितने भी प्रयास के बाद आज आप स्थिति जान लीजिए कि सांप्रदायिक सद्भाव का, सौहार्द्र का माहौल कायम है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर कमी आयी है। वर्ष 2014 में सांप्रदायिक तनाव की 262 घटनाएं प्रतिवेदित हुई, 2015 में 199 घटनाएं प्रतिवेदित हैं, 2016 में 181 घटनाएं , वर्ष 2017 में जनवरी तक 12 घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं, लेकिन जो माहौल को बिगाड़नेवाली घटनाएं रही हैं उनकी संख्या बहुत कम हुई है। मद्य निषेध के मामले में पूरी कार्रवाई हुई है और अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। मद्य निषेध के मामले में कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में रूपौली पूर्णियां, रून्नी सैदपुर बैरगनिया सीतामढ़ी, मुफस्सिल मोतिहारी, मकदुमपुर जहानाबाद, मसौढ़ी पटना, सुल्तानगंज भागलपुर, चांद कैमूर, डेहरी रोहतास, मरंगा पूर्णियां के थानाध्यक्षों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गयी है। बेउर थाना के

थानाध्यक्ष सहित चार पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी और थानाध्यक्ष फुलवारी शरीफ, दुल्हिन बाजार तीनों पटना जिला, बलरामपुर, आजमनगर दोनों कटिहार जिला, बड़हरा भोजपुर को संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित किया गया है। तीन पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। नगर थाना गोपालगंज में पदस्थापित 29 पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किया गया है। यहां तक कि एस0पी0 के लेवेल पर शॉकोज हुआ कई जिलों में तो इस प्रकार से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। हर प्रकार से देखिए चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो या जो शराबबन्दी लागू की गयी है और उसको लेकर जो कुछ भी मामले सामने आते हैं किसी भी मामले में, किसी भी तरह का कोई कंप्रमाइज नहीं है और सख्त कार्रवाई की जाती है। इसलिए जहां तक और कई संवेदनशील मामलों की भी चर्चा लोगों ने की मैंने कुछ चीजों के बारे में आपको उसकी जानकारी दे दी। एक बात और लोग कह देते हैं हम इसको इसी हाऊस में यानी इस वर्तमान हाऊस में यानी इसके पहले वाले हाऊस में हमलोगों ने बता दिया था, कुछ लोगों को मालूम नहीं है- अप्रील, मई, जून, जुलाई ये जो गर्मी का महीना है न- यह हम इसी हाऊस में एक्सप्लेन कर चुके हैं, बता चुके हैं। ये गर्मी के महीने में अपराध की घटना तुलनात्मक दृष्टिकोण से पिछले महीने की तुलना में थोड़ी बढ़ती है और उसके बाद फिर घटती है। ये कोई यहां का ट्रेंड नहीं है, ये पूरे कंट्री का ट्रेंड है। ये हम इसी हाऊस में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन एक महीना का जोड़ देगा कि इस महीना से इस महीना में बढ़ गया। अरे, यह तो आम तौर पर गर्मी के दिनों में थोड़ा इजाफा होता है और उसका कारण भी होता होगा दिमाग गरमाया रहता होगा अपराध करनेवालों का, लेकिन ये तो आप अगर अपराध का आंकड़ा पूरे देश का देखियेगा तो ये विश्लेषण सामने आता है। अनेकों बार इसके बारे में हमने जब समीक्षा की है तो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो यह बात आती है, लेकिन लोगों का मतलब है कोई सही मायने में, कोई सार्थक डिबेट नहीं करना, बल्कि इनका प्रयत्न होता है कि हर प्रकार से किसी न किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन पैदा किया जाय और उस कन्फ्यूजन के आधार पर सरकार को डॉक में खड़ा किया जाय और कुछ न कुछ इन लोगों के द्वारा यह कोशिश होती है कि हम सरकार की छवि को बिगाड़ें, लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरे तौर पर प्रतिबद्ध है सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 को लागू करने में और हम हर सूरतेहाल में अपने काम को पूरी सरकार हमारी मजबूती के साथ उसपर अमल करने में लगी हुई है। हम लोगों ने अभी ही पूरे बिहार में पूरा दौरा किया, यात्रा की और हर दल के विधायकों के साथ चर्चा की, सबकी समस्याओं को भी हमलोग सुनते हैं, सबके विचार को लेते हैं और हमारा विश्वास पूरे तौर पर लोकतंत्र में है और उसके चलते हम लोकतंत्र की मजबूती के लिए निरंतर काम करते हैं और

हमलोग काम करते रहेंगे। चुनाव के दौरान हमलोगों ने जो कहा है उसपर अमल कर रहे हैं। हम उन लोगों में नहीं हैं जो चुनाव के दौरान जो कुछ भी कहें उसको बाद के दिनों में पूरे तौर पर भूल जाएं। अब मैं एक ही बात कहकर अपनी बात खत्म भी करना चाहूंगा कि जरा बता दीजिए कि बिहार के चुनाव के दौरान जो पैकेज की बात हुई, उसका क्या हुआ ? 1 लाख 25 हजार करोड़ के पैकेज की बात हुई क्या हुआ उसका और 40 हजार करोड़ पहले की योजनाओं का यानी 1 लाख 65 हजार करोड़ का पैकेज का क्या हुआ ? हम जानना चाहते हैं। हमको और कुछ नहीं और विशेष राज्य के दर्जा की भी बात कह दी गयी तो विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा ? पैकेज का फायदा बिहार को कब मिलेगा? जो केन्द्र सरकार को करना है रोड के मामले में मेरे पास तो सब आंकड़े हैं कि क्या किया, जितने का एनाउन्स किया और जो काम केन्द्र सरकार के जिम्मे था- 30 हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा की बात उन्होंने कही थी, किया तो ज्यादा का था, कुछ तो राज्य सरकार के माध्यम से करवायेंगे तो राज्य सरकार के माध्यम से जो करवाना है 56 हजार करोड़ में तो उसमें राज्य सरकार के माध्यम से जो उनको करवाना है जो भी 28 हजार करोड़ 29 हजार करोड़ और दिया है मुश्किल से 3-4 हजार करोड़ रूपये भी नहीं उसपर काम शुरू हो रहा है और उन लोगों ने भी उसी तरह से किया है। भाई, आखिरकार कोई भी सरकार तो पांच साल के लिए न होती है तो तीन साल बीत गया और वचन को पूरा नहीं कीजियेगा तो क्या मतलब है ? लेकिन हमलोग उन लोगों में से नहीं हैं, हमलोग अपने वचन पर दृढ़तापूर्वक अमल करते हैं और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ- सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को बिहार में भी लागू किया जायेगा। सबको मालूम है आजकल हम देखते हैं कहीं कहीं कुछ बात पहले तो शिक्षक को लेकर था। एक दिन हम यात्रा में थे तो वहीं से कह दिया कि अरे भाई, मिलेगा उसका लाभ क्यों नहीं मिलेगा ? घर बैठे तुरंत लोग लहराने लगते हैं आजकल फिर देख रहे हैं। अरे भाई, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और वह तो मेरे हिसाब से इस साल के 1 जनवरी से ही उसका फायदा उनको मिलेगा, 1 जनवरी से ही और हर बार होता है- फिटमेंट कमिटी बैठती है। केन्द्र सरकार का जो पे-स्केल है और पद है वह अलग है, यहां का पे-स्केल, पद अलग है। उस हिसाब से फिटमेंट के लिए कमिटी बनती है और बिहार सरकार के पूर्व मुख्य सचिव श्री जी0एस0 कंग की अध्यक्षता में कमिटी बनी है वह अपनी रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर तय होगा। क्रमशः

टर्न-20/अशोक/28.02.2017

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : क्रमशः हर बार तो वेतन आयोग अपना अपना करता है, पहले तो पे स्केल था उसके ऊपर क्या था, ग्रेड पे, तब डी.ए. अब सब को मिला दिया तो भाई हर चीज को हर बार वेतन आयोग नये सिरे से करता है, उसका फिटमेंट राज्य सरकार के कर्मियों के लिए करने के लिए कमिटी बनती है, वह काम कर रही है और वह रिपोर्ट आयेगी, लेकिन वह रिपोर्ट जब भी आये लागू तो करना है 1 जनवरी से ही, उसका तो लाभ मिलेगा ही, हमलोगों का कमिटमेंट हैं, बिहार सरकार ने हमेशा किया है । लेकिन कुछ न कुछ लोगों को भड़काने के लिए, बिना वजह का कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि लोगों को कहीं से चिंता नहीं करनी चाहिए, सातवे वेतन आयोग की सिफारिशें उसी प्रकार उसी प्रकार से लागू होगी जिस प्रकार से पिछली बार छठे वेतन आयोग की सिफारिश बिहार में अमल में लाई गई । और इसका तरीका हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अभी लोग रहते तो बीच-बीच में कुछ और छेड़ते तो और जवाब देते लेकिन है ही नहीं । भाग जाते हैं, चले जाते हैं पता नहीं कि कौन सा इनका यह लोकतांत्रिक इनकी प्रक्रिया है, अपनी बात कहिये और उत्तर नहीं सुनिये, तो सुनने का साहस है, एक-एक बात की हमने कोशिश की है जो भी प्रश्न उठाये गये हैं उन सभी बिन्दओं पर जो स्थिति हैं उससे हमने अवगत करा दिया और मैं समझता हूँ कि सदन की कार्यवाही अभी एक महीना चलने वाली है और.....

(इस अवसर पर श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल के साथ भाजपा के माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले आये)

एक महीना चलने वाली है, अब हम जब बंद करने वाले हैं तब आये हैं । सदन की कार्यवाही एक महीना चलने वाली है, बजट प्रस्तुत किया जा चुका है, मैं यही आग्रह करूंगा पूरे सदन से कि विभिन्न विभागों पर चर्चा होगी, उस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए ताकि बिहार को जो प्रगति की रफ्तार मिली है, इस रफ्तार को और तेज किया जा सके और बिहार को विकसित राज्य बनाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही आग्रह करूंगा कि महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए पूरा सदन कृतज्ञ हैं, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाय । बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से संबंधित श्री श्याम रजक, स.वि.स. द्वारा प्रस्तुत किये धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधनों को पढ़ा हुआ माना गया है, उन्हें मैं बारी-बारी से प्रस्तुत करता हूँ ।

क्या माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रेम कुमार अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

" धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रेम कुमार द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाय ।"

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे "हॉ" कहें ।

अध्यक्ष : कम से कम मूवर तो 'हॉ' कहिये ।

जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं, वे "ना" कहें ।

मैं समझता हूॅ कि विपक्ष में बहुमत हैं, विपक्ष में बहुमत हैं,

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्या, श्रीमती बेबी कुमारी अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहती हैं?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में माननीय सदस्या, श्रीमती बेबी कुमारी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को जोड़ा जाय ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूॅ ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, नेता प्रतिपक्ष के खिलफ में जब प्रस्ताव उनका आया तो कोई उनके माननीय सदस्य विपक्ष में नहीं कहा और, सुनिये तो, और निर्दलीय के पक्ष में सब बोले, इसका मतलब आया कि नेता पर कंफिडेंस नहीं है इनके विधायकों को।

अध्यक्ष : माननीय विजेन्द्र बाबू, आपने शायद संज्ञान नहीं लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो इनके बोलते-बोलते अंत में प्रेम बाबू आ गये क्योंकि ये मानते हैं 'अंत भला तो सब भला ।'

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं,"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : आज दिनांक 28 फरवरी, 2017 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-26 है। अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें सम्बन्धित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई।)

शोक-प्रकाश

स्वर्गीय चुनचुन प्रसाद यादव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सभा के अंत मुझे एक आप सभी सदस्यों को दु:खद सूचना भी देनी है कि बिहार विधान सभा एवं लोक सभा के पूर्व सदस्य तथा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री चुनचुन प्रसाद यादव का निधन दिनांक 24 फरवरी, 2017 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव भागलपुर जिला के नाथनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969 एवं 1985 में बिहार विधान सभा तथा भागलपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1989, 1991 एवं 1996 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार के मंत्री भी रहे थे । वे कुशल राजनेता, समाजसेवी एवं शिक्षाविद् थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त सपरिवार के पास संदेश भेजवा दूंगा ।

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक, बुधवार दिनांक 01 मार्च, 2017 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....